



# मूल्यांकन अभिकरणों की मान्यता और विनियम के लिए दिशा-निर्देश, 2020

एनसीवीईटी  
कौशल गुणवत्ता प्रगति  
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद  
(कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय)  
कौशल भवन, करोल बाग  
नई दिल्ली - 110005



## प्रस्तावना

एक मजबूत आधुनिक कल्याणकारी राज्य सक्षम और प्रबुध युवाओं के प्रयासों से बनता है, जो राष्ट्र के समकालीन इतिहास को लिखेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि हम कौशल विकास को जितना महत्व देंगे, हमारे युवा उतने ही अधिक सक्षम होंगे। कौशल आत्मनिर्भरता का उपकरण है, जो न केवल व्यक्ति को रोजगारपरक बनाता है, बल्कि व्यक्ति को स्व-रोजगार के लिए भी तैयार करता है।

कौशलीकरण संस्थानों में निरंतर सुधार के साथ नए प्रतिमान की शुरुआत प्रणाली में गुणवत्ता को संचालित करने की क्षमता रखती है। भारत सरकार ने कौशल संस्थानों के सुदृढीकरण के लिए कई प्रमुख उपाय किए हैं। एक व्यापक विनियामक की स्थापना इस पारिस्थितिकी तंत्र में धीरे-धीरे सुधार लाएगा। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) जैसी एक नई संस्था अधिक सुव्यवस्थित, विशिष्ट, मापनीय और अनुकूल विनियमन स्थापित करेगी।

कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रभाव मजबूत आकलन और परिणामों के पश्चात् प्रमाणन द्वारा स्थापित किया जाता है। इसलिए आकलन एक कुशल उम्मीदवार की क्षमता और सीखने के स्तर की जांच करने के लिए उचित, विश्वसनीय और पर्याप्त प्रक्रिया की प्रमुख कुंजी है।

एनसीवीईटी ने कौशलीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में आकलन कार्य के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश तथा एक परिचालन नियमावली तैयार किया है। इसमें आकलन संस्थाओं के कार्यों में विश्वसनीयता, दक्षता और प्रभावकारिता आएगी, जिससे गुणवत्ता में सुधार होगा और लगने वाले कुल समय में कमी आएगी।

मैं चाहता हूँ कि इन परिवर्तनीय दिशा-निर्देशों को पूरे देश में तेजी से कार्यान्वित किया जाए तथा निकट भविष्य में दक्षता और प्रभावशीलता के रूप में प्रणालियों में परिकल्पित सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो। मैं एमएसडीई के सचिव और एनसीवीईटी के अध्यक्ष, श्री प्रवीण कुमार को उनके सक्षम नेतृत्व के लिए तथा एनसीवीटी की कार्यकारी सदस्य, सुश्री विनीता अग्रवाल एवं उनकी टीम को इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में किए गए उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ।

(डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री,  
भारत सरकार



## प्राक्कलन



हमारे देश में कौशल विकास परितंत्र के सतत् विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम निरन्तर और गुणवत्तापरक मूल्यांकन हैं। प्रशिक्षार्थी के कौशल विकास जीवन चक्र में मूल्यांकन किसी विशिष्ट कौशल में कार्य-निष्पादन के मापन हेतु वैधता और निष्पक्षता प्रदान करता है। कौशल विकास क्षेत्र की विविध और विखंडित सांस्थानिक प्रणाली की प्रगतिशील विनियामक संस्थान अर्थात् एनसीवीईटी और इसके सुधारवादी विनियमन से अत्यधिक लाभ होगा।

इन दिशा-निर्देशों में मूल्यांकन अभिकरणों की मान्यता के लिए मानकों का निर्धारण करने के साथ ही उनके विनियमन हेतु निगरानी एवं मूल्य निर्धारण संरचना का भी प्रावधान किया गया है। एक सर्वसमावेशी नियामक के तौर पर इन दिशा-निर्देशों का विजन स्तरीकृत मानकों, सतत् गुणवत्ता अभिशासन के माध्यम से और बेहतर कार्य-निष्पादन वाले अभिकरणों को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए मूल्यांकन परिदान हेतु श्रेष्ठ मूल्यांकन अभिकरणों का एक पूल (समूह) तैयार करना है। ऐसा करने से इन संगठनों को वैधता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और लचीलेपन के सिद्धांतों को लागू करते हुए इस प्रणाली में समुचित समायोजन का अवसर मिलेगा। जैसे-जैसे इस परितंत्र का विकास होगा, एनसीवीईटी पारितंत्र की दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए मूल्यांकन के आयोजन हेतु प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करने का प्रयास करेगी।

इन दिशा-निर्देशों को एनसीपीईटी टीम द्वारा किए गए दीर्घकालिक एवं कठिन परिश्रम के परिणामस्वरूप तैयार किया गया है। इन दस्तावेजों को हितधारकों के साथ परामर्श, विशेषज्ञों की समीक्षाओं और फीडबैक तथा संकेन्द्रित मुद्रित साहित्य समीक्षा के उपरांत आकार दिया गया है। ईष्टतम कार्य-निष्पादन का निर्धारण करने के लिए लागू किए जाने वाले मानकों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है ताकि इनको व्यापक बनाने के साथ ही इनका अतिरेक न हो।

मैं इन दिशा-निर्देशों के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

(डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय)  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री,  
भारत सरकार



## आभार



एनसीवीईटी का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन परिदान को बेहतर बनाना और इस कार्य में मानकों को लागू करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यांकन निष्पक्ष, विश्वसनीय, वैध और समग्र हैं। एनसीवीईटी द्वारा तैयार किए गए 'मूल्यांकन अभिकरणों की मान्यता और विनियमन संबंधी दिशा-निर्देश' और 'प्रचालन नियमावली' में इस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रावधान किया गया है। इन दिशा-निर्देशों में मूल्यांकन अभिकरणों की प्रारंभिक मान्यता के लिए मानकों और न्यूनतम अपेक्षाओं का निर्धारण करते हुए उनकी सतत् संबंधिता के लिए निगरानी संरचना का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

इन दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ कई दौर की वार्ताओं और हितधारकों द्वारा मौजूदा मूल्यांकन अभिकरणों, राज्य कौशल विकास विभागों और कौशल विकास मिशनों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, उद्योग जगत इत्यादि के साथ व्यापार विचार-विमर्श के उपरांत तैयार किया गया है। इन दिशा-निर्देशों को आम लोगों की संवीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया था और तदनुसार प्राप्त टिप्पणियों की जांच के उपरांत उन्हें निगमित किया गया है।

मैं श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष, एनसीवीईटी एवं सचिव, एमएसडीई का उनके विजन और इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने में उनके अनवरत मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करती हूं। इन दिशा-निर्देशों को तैयार किया जाना डीएमआईडी, यूके के सहयोग और एनसीवीईटी टीम, जिसमें सुश्री तनवी सिंह, सुश्री सुभी माथुर, श्री शुवदीप राय और श्री अनुपम मैती शामिल हैं, और एनसीवीईटी के परामर्शदाताओं के सतत प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है। मैं आईटी/आईटीईएस एसएससी की सुश्री संध्या चिंताला, डीजीटी टीम, मूल्यांकन अभिकरणों के प्रतिनिधियों (सीओ क्यूबस एंड नवरीति) और ऑटोमोटिव एसएससी का भी इस प्रयास में किए गए योगदान के लिए आभार व्यक्त करती हूं। मैं सभी हितधारकों की रचनात्मक टिप्पणियों और फीडबैक, जिनसे उन दिशा-निर्देशों को मूर्त रूप देने में सहयोग मिला है, के लिए उनकी भी आभारी हूं।

मुझे विश्वास है कि इन दिशा-निर्देशों से कौशल प्रशिक्षण मूल्य श्रृंखला में मूल्यांकनों का मानकीकरण प्रदान किए जाने के साथ ही परिणामों की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करने में भी सहायता मिलेगी।

विनीता अग्रवाल  
कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी एवं वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

## शब्दावली

एए	मूल्यांकन अभिकरण
एबी	अधिनिर्णय निकाय
एआई	कृत्रिम आसूचना
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीपीडी	सतत् व्यावसायिक विकास
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशालय
डीएसडीसी	जिला कौशल विकास समितियां
एफसीआरए	विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम
जीओआई	भारत सरकार
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एलएलपी	समिति देयता भागीदारी
एमएंडई	निगरानी एवं मूल्यनिर्धारण
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एलएल	मशीन अधिगम
एमओएम	बैठक का कार्यवृत्त
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
एनसीवीईटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद
एनक्यूआर	राष्ट्रीय अहर्ताएं पंजिका (रजिस्टर)
एनएमडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण
एनएसक्यूएल	राष्ट्रीय कौशल अहर्ता संरचना
ओएम	प्रचालन नियमावली
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीओएसएच	यौन उत्पीड़न प्रतिषेध नीति
पीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन
क्यूए	गुणवत्ता आश्वासन
क्यूएफ	अहर्ता फाइल
क्यूपी	अहर्ता पैक
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आरपीएल	पूर्व अधिगम को मान्यता
एसएमई	विषय-वस्तु विशेषज्ञ
एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रिया
एसएसडीएम	राज्य कौशल विकास मिशन
टीएटी	आमूलचूल बदलाव का दौर
टीसी	प्रशिक्षण केन्द्र
टीओए	मूल्यांकन करने वालों का प्रशिक्षण
टीओटी	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीपी	प्रशिक्षण भागीदार
वीईटी	व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण

# विषय वस्तु सारणी

खंड 1 : परिचय .....	
1.1 एनसीवीईटी - एक सिंहावलोकन .....	
1.2 कार्य .....	
खंड 2 : मूल्यांकन अभिकरण दिशा-निर्देश .....	
2.1 विजन .....	
2.2 उद्देश्य .....	
2.3 कार्यक्षेत्र .....	
2.4 संरचना .....	
2.5 मुख्य विशेषताएं .....	
खंड 3 : मूल्यांकन अभिकरणों की मान्यता .....	
3.1 मान्यता की परिभाषा .....	
3.2 मान्यता का कार्यक्षेत्र .....	
3.3 मान्यता की श्रेणियां .....	
3.4 मान्यता प्रक्रिया .....	
3.5 मान्यता शुल्क .....	
3.6 मान्यता अवधि .....	
3.7 मान्यता प्रदान करने वाले करार के उल्लंघन पर कार्रवाई .....	
खंड 4 : प्रचालन प्रतिमान .....	
4.1 प्रचालन प्रक्रिया .....	
4.2 मूल्यांकन में उद्योग भागीदारी .....	
4.3 प्रौद्योगिकी संवर्धन .....	
खंड 5 : मूल्यांकन अभिकरणों की मान्यता के लिए पात्रता मानदंड .....	
खंड 6 : विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों के लिए दिशा-निर्देशों की प्रयोजनीयता .....	
खंड 7 : निगरानी एवं मूल्य निर्धारण .....	
7.1 उद्देश्य .....	
7.2 प्रक्रिया .....	
7.3 निरन्तर मानदंड : निगरानी हेतु मानक .....	
7.4 जोखिम मूल्यांकन संरचना .....	
7.5 जोखिम उपशमन .....	
7.6 प्रतिवेदन .....	
खंड 8 : अधिनिर्णय निकायों और मूल्यांकन अभिकरणों के बीच संबंध को परिभाषित करना ...	

## खंड 1 : परिचय

### 1.1 एनसीवीईटी - एक सिहांवलोकन

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की अधिसूचना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा 5 दिसम्बर, 2018 को जारी की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में विखंडित विनियामक प्रणालियों का समेकन करना और सम्पूर्ण कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करते हुए परिणामों का सुदृढीकरण करना है।

एनसीवीईटी एक सर्वसमावेशी कौशल विनियामक के तौर पर कार्य करेगी, जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक तौर पर कार्यरत संस्थाओं की कार्यप्रणाली को विनियमित करते हुए ऐसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली के लिए न्यूनतम स्तरों का निर्धारण भी करेगी। एनसीवीईटी के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:-

- (क) अधिनिर्णय निकायों (एबी), मूल्यांकन अभिकरणों (एए) और कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं की मान्यता एवं विनियमन
- (ख) अर्हताओं का अनुमोदन
- (ग) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की निगरानी और निरीक्षण
- (घ) शिकायत समाधान

भारत में कौशल विकास पारितंत्र में अधिनिर्णय निकायों, मूल्यांकन अभिकरणों और प्रशिक्षण प्रदाताओं की मुख्य भूमिका होती है, जबकि अधिनिर्णय निकाय रोजगार मानकों का सुस्पष्ट निर्धारण करते हुए, दक्षताओं को प्रमाणित करता है और मूल्यांकन अभिकरण मूल्यांकन एवं वैधता प्रक्रिया विधि की अनुपालना करता है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के अधिगम परिणामों (ज्ञान, कौशल और/अथवा दक्षताओं) का औपचारिक तौर पर मूल्यांकन किया जाता है।

इन दिशा-निर्देशों में मूल्यांकन अभिकरणों के विनियमन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। वर्तमान में, देश के मूल्यांकन पारितंत्र में विविध कार्यान्वयन मानकों वाले बहु मूल्यांकन अभिकरण विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, कतिपय मामलों में अधिनिर्णय निकायों (एबी) द्वारा भी मूल्यांकन करने की दोहरी भूमिका निभाई जा रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रचालनों में सीमित मानकीकरण सहित अधिनिर्णय निकायों और मूल्यांकन अभिकरणों में समानांतर संबंध मूल्यांकन प्रणालियां विकसित हुई हैं और इसके कारण गुणवत्ता मुद्दे एवं संभावित हितों का टकराव उत्पन्न हुआ है। एनसीवीईटी द्वारा मूल्यांकन अभिकरणों की केन्द्रीयकृत मान्यता प्रारंभ की जाएगी तथा कौशल प्रशिक्षण मूल्य श्रृंखला मूल्य श्रृंखला में मूल्यांकनों का मानकीकरण करते हुए परिणामों में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

एए के विनियमन हेतु दो प्रकार के दस्तावेज तैयार किए गए हैं - मूल्यांकन अभिकरणों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश और 'प्रचालन नियमावली'। जबकि दिशा-निर्देशों में मान्यता मानदंडों की रूपरेखा निर्धारित की गई है और प्रचालन नियमावली में विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया, निगरानी प्रक्रिया और दस्तावेजी साक्ष्यों के निक्षेपागार, जिसकी आवश्यकता मूल्यांकन अभिकरणों की प्रारंभिक मान्यता और अनवरत संबद्धता के लिए होगी, का विस्तृत उल्लेख किया गया है। 'दिशा-निर्देशों' और 'प्रचालन नियमावली' में वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन के मान्यता प्राप्त और प्रत्यायित मानकों के अनुरूप सर्वसमावेशी अभिशासन और प्रभावी कार्य सिद्धांतों का अभिनिर्धारण और उनकी निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस दस्तावेज में मूल्यांकन अभिकरणों की मान्यता और उनके विनियमन संबंधी दिशा-निर्देशों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

## 1.2 मूल्यांकन अभिकरण की परिभाषा

मूल्यांकन अभिकरण को एक ऐसे अभिकरण के तौर पर परिभाषित किया गया है, जो जांच अथवा परीक्षा आयोजित करके किसी प्रशिक्षार्थी का यह आकलन करता है कि क्या वह कौशल अथवा अर्हता संबंधी योग्य ठहराए जाने हेतु प्रमाणित किए जाने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता है।

## 1.3 कार्य

- (क) गुणवत्तापरक मानक मूल्यांकन का आयोजन करना और परिणामों को अभिलिखित करना।
- (ख) विषय-वस्तु विकास (प्रश्न बैंक सहित), मूल्यांकन एवं परिदान प्रक्रियाओं, कार्य-निष्पादन प्रतिवेदन और विश्लेषण, मूल्यांकनकर्ताओं, प्रोक्टर्स और एसएमई इत्यादि की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के लिए मूल्यांकन कार्यनीति और मानक प्रचालन प्रक्रिया-विधियों (एसओपी)/जांच सूचियों का विकास करना।
- (ग) भाषाओं और प्रशिक्षु समूहों में सुलभ मानक मूल्यांकन उपकरणों की सुलभता सुनिश्चित करना।
- (घ) प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों, प्रोक्टर्स और एसएमई की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- (ङ) मूल्यांकन बैच के लिए प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता आबंटित करना।
- (च) मूल्यांकनकर्ताओं और प्रोक्टर्स की कार्य निष्पादन रेटिंग प्रारंभ करना।
- (छ) शिकायत समाधान के लिए प्रणालियों की स्थापना करना।
- (ज) परिषद का किसी निरीक्षण अथवा इसके कार्यकलापों की लेखा परीक्षा में सहयोग करना।



## खंड 2 : मूल्यांकन अभिकरण दिशा-निर्देश

### 2.1 विजन

प्रभावी अर्हताओं के लिए सतत् और गुणवत्ता आश्वस्त मूल्यांकन आवश्यक है। इससे अर्हताओं को मान्यता, विश्वसनीयता प्रदान किए जाने के साथ वीईटी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर वीईटी, औपचारिक शिक्षा और नियोक्ता पारितंत्रों में महत्व प्रदान किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अर्हताओं पर प्रशिक्षुओं और नियोक्ताओं का विश्वास हो। प्रशिक्षु यह आश्वासन चाहते हैं कि मूल्यांकन निष्पक्ष हो और उनकी दक्षता की जांच प्रक्रिया अन्य सभी प्रशिक्षुओं के समान हो। नियोक्ता यह आश्वासन चाहते हैं कि अर्हता धारक का मूल्यांकन अर्हता में उल्लिखित सभी परिणामों की कसौटी पर किया गया है।

एक सर्वसमावेशी विनियामक के तौर पर, एनसीवीईटी स्तरीकृत मानकों, सतत् गुणवत्ता अभिशासन और बेहतर कार्य-निष्पादन वाले अभिकरणों, मूल्यांकनकर्ताओं/प्रोक्टर्स के प्रोत्साहन के माध्यम से एक विश्वसनीय और गुणवत्तापरक मूल्यांकन पारितंत्र की स्थापना करने का प्रयास करेगी। इसका विजन मूल्यांकन परिदान के लिए उत्कृष्ट मूल्यांकन अभिकरणों का एक समूह विकसित करना है। ऐसा पारितंत्र विकसित होने पर, एनसीवीईटी दक्षता के सुदृढीकरण के लिए मूल्यांकनों के आयोजन हेतु प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

देश में मूल्यांकन पारितंत्र को विनियमित करने के लिए एनसीवीईटी का विजन और दर्शन मुख्य तौर पर निम्नलिखित स्तंभों पर आधारित है:-

#### अभिशासन सुदृढीकरण

एनसीवीईटी कौशल विकास पारितंत्र में मूल्यांकन और अधिनिर्णय कार्यों की पृथक तौर पर प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।

#### गुणवत्ता सुदृढीकरण

एनसीवीईटी कौशल विकास पारितंत्र में अल्पावधि और दीर्घावधि तौर पर मूल्यांकन प्रणालियों की गुणवत्ता का सुदृढीकरण करने और इसकी दक्षता के सुदृढीकरण के लिए मूल्यांकनों के आयोजन में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग का प्रयास करेगी।

#### परिणामों का सुदृढीकरण

एनसीवीईटी का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापित विश्वसनीयता वाले उत्कृष्ट मूल्यांकन अभिकरणों को मान्यता प्रदान करना है।

## स्व: विनियमन और स्व: निगरानी

एनसीवीईटी द्वारा एक ऐसे स्व: विनियमित पारितंत्र की अभिकल्पना की गई है जहां मूल्यांकन अभिकरणों का एनसीवीईटी द्वारा निर्धारण अधिदेश के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने प्रचालनों पर कड़ा नियंत्रण होता है।

## 2.2 उद्देश्य

एनसीवीईटी द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन अभिकरणों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशा-निर्देशों में, जिन्हें एए दिशा-निर्देश भी कहा गया है, मूल्यांकन अभिकरणों को मूल्यांकन कार्य करने के लिए मान्यता प्रदान करने, उनकी सतत् संबद्धता के लिए निगरानी तथा अभिशासन संरचना को रेखांकित करते हुए, के लिए मानकों का निर्धारण किया गया है। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य स्तरीकृत राष्ट्रीय मानकों, सतत् गुणवत्ता अभिशासन, जिनके परिणामस्वरूप उत्कृष्ट मूल्यांकन अभिकरणों का अभিনিर्धारण और संवर्धन किया जाता है, के माध्यम से परिणामों में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करना है।

एए दिशा-निर्देशों के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

- (क) एए की मान्यता हेतु स्तरीय मानदंडों का अभिकल्पन।
- (ख) मूल्यांकन योजना, परिदान और एए तथा मूल्यांकन की निगरानी हेतु गुणवत्तापरक मानदंडों का अभिकल्पन।
- (ग) मूल्यांकन प्रणालियों (मूल्यांकन समय-सारणी, कार्यान्वयन-ऑनलाइन और ऑफलाइन, परिणाम घोषणा और प्रमाण-पत्र प्रदान करना, डाटा वेयरहाउस और डाटा-मानइ एवं प्रलेखन) की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन प्रक्रियाओं में आमूलचूल समयावधि (टीएटी) को परिभाषित करना।
- (घ) एस और उनके मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों तथा प्रोक्टर्स के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली (रेटिंग एवं रैंकिंग मानदंड) को लागू करना।
- (ङ) एनसीवीईटी पारितंत्र में संबंधित हितधारकों के उत्तरदायित्वों सहित मान्यता प्राप्त एए और 'ड्यूल् एजेंसियों' के जीवन-चक्र को परिभाषित करना।

## 2.3 कार्य क्षेत्र

एनसीवीईटी अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/217- ई एंड पीडब्ल्यू, दिनांक 05.12.2018 के पैरा 2 में कहा गया है - "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद को अवार्डिंग निकायों, आकलन एजेंसियों, कौशल सूचना प्रदाताओं और प्रशिक्षण निकायों को मान्यता प्रदान करने और उनकी निगरानी करने के लिए विकास गुणवत्तापरक सुधार और व्यावसायिक शिक्षा का

विनियमन करने तथा इस संकल्प में उल्लिखित अन्य आकस्मिक कार्यों को करने का कार्य सौंपा गया है।"

तदनुसार यह वांछनीय है कि सभी मूल्यांकन अभिकरण बेहतर गुणवत्ता और स्वीकार्यता के लिए एनसीबीईटी दिशा-निर्देशों के अनुसार मान्यता प्रगत करें। हालांकि सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एनसीबीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा मूल्यांकन का आयोजन अनिवार्य है।

## 2.4 संरचना

इन दिशा-निर्देशों को निम्नलिखित तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:-

**(क) पात्रता मानदंड:** इन मानदंडों में ऐसे अभिकरणों के लिए न्यूनतम प्रवेश मानदंडों को परिभाषित किया गया है, जो मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने और एए के तौर पर मान्यता, प्राप्त करने के इच्छुक हैं। वे ऐसी संस्थाओं के लिए न्यूनतम आधारभूत सांगठनिक अपेक्षाएं हैं, जो मानक अथवा 'इयूल' मान्यता अथवा मूल्यांकन केन्द्र के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

**(ख) निरंतरता मानदंड:** इन मानदंडों में उन नियमों और प्रक्रिया-विधियों को परिभाषित किया गया है, जिनकी अनुपालना मान्यता प्राप्त एए द्वारा सम्पूर्ण मान्यता अवधि के दौरान किया जाना अपेक्षित है। एनसीबीईटी द्वारा प्रदत्त मान्यता को बनाए रखने के लिए एए द्वारा निरंतरता मानदंडों की अनुपालना अनिवार्य है।

**(ग) प्रमुख हितधारकों के बीच संबंध:** किए जाने वाले मुख्य कार्यकलापों के लिए एबी और एए की विकसित होने वाली भूमिका और उनके बीच संबंधों को परिभाषित करना।

एनसीबीईटी से मानक अथवा 'इयूल' श्रेणी के अधीन या स्वतंत्र मूल्यांकन केन्द्र के तौर पर मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं सहित सभी पैरामीटर्स अनिवार्य स्वरूप के हैं। एनसीबीईटी से मान्यता प्राप्त एए के लिए एनसीबीईटी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले विभिन्न दिशा-निर्देशों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा। हालांकि, विभिन्न श्रेणियों के एए के लिए पात्रता प्रयोजनीयता कतिपय भिन्नताएं हैं, जिन्हें इन दिशा-निर्देशों के खंड 6 में दर्शाया गया है।

संस्थान द्वारा मान्यता हेतु आवेदन प्रक्रियाओं, पात्रता के लिए अपेक्षित साक्ष्यों, एनसीबीईटी द्वारा ऐसे आवेदनों की संवीक्षा, समय-सीमाओं सहित तत्संबंधी निगरानी और मूल्यांकन, अनुदेशों एवं अन्य संगत नमूनों का प्रचालन नियमावली (ओएम) में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

## 2.5 मुख्य विशेषताएं

### I. मूल्यांकन अभिकरणों की केन्द्रीयकृत मान्यता

इन दिशा-निर्देशों में क्षेत्र और भौगोलिक स्थिति के आधार पर एए की केन्द्रीयकृत मान्यता प्रणाली का प्रावधान किया गया है।

### II. मूल्यांकन प्रक्रियाओं और परिदान का मानकीकरण

मूल्यांकन परिदान की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को उपलब्ध श्रेष्ठ रीतियों का प्रयोग करते हुए मानक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इससे शिक्षार्थी का एक समान मूल्यांकन और दक्षता मूल्यांकन सुनिश्चित करते हुए समान आधार पर मूल्यांकन किया जाना संभव होगा।

### III. मूल्यांकन और अधिनिर्णय कार्यों को पृथक करना

हितों की समरूपता का संज्ञान लेते हुए, एनसीवीईटी ने मूल्यांकन और अधिनिर्णय कार्यों को पृथक-पृथक करने और उनके प्रचालनों में गुणवत्ता और जबाबदेही को बेहतर बनाने का प्रावधान किया है। दोहरी मान्यता वाले संगठनों और संस्थाओं के लिए भी एनसीवीईटी के मान्यता प्रदान करने में तौर-तरीकों में कार्मिक, प्रशासनिक कर्मचारियों और संसाधनों के अर्थों में मूल्यांकन करने और अधिनिर्णय कार्यों को पृथक रखने का प्रावधान अंतर्निहित किया गया है।

### IV. स्व: विनियमन

एनसीवीईटी द्वारा स्व: निगरानी और सुधार संस्कृति को विकसित करके स्व: विनियमन पारितंत्र की अभिकल्पना की गई है। एए से अपने प्रचालनों पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करते हुए मान्यता अवधि के दौरान सतत स्व: सुधार और जोखिम उपशमन योजनाएं तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। एनसीवीईटी द्वारा प्रचालन नियमावली में एए और 'ड्यूल्' अभिकरणों के लिए स्व: मूल्यांकन प्रतिमान प्रदान किया जाएगा।

### V. प्रत्यायोजित विनियमन

एनसीवीईटी एक सर्वसमावेशी विनियामक के तौर पर कार्य करेगी जबकि एए द्वारा किए जाने वाले दैनिक प्रचालनों और मूल्यांकन परिदान की निगरानी एबी द्वारा एनसीवीईटी द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार की जाएगी। हालांकि, मूल्यांकन परिणामों और एए द्वारा एनसीवीईटी द्वारा नियत गुणवत्ता मानदंडों की अनुपालना की निगरानी एनसीवीईटी द्वारा की जाएगी।

### VI. एए का कार्य-निष्पादन आधारित वर्गीकरण

एनसीवीईटी एक विनियामक के तौर पर स्तरीकृत मानकों के माध्यम से विश्वसनीयता और गुणवत्तापरक मूल्यांकन पारितंत्र स्थापित करने का प्रयास करती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्कृष्ट एए का अभिनिर्धारण एवं संवर्धन किया जा सकता है। इसको एए की जोखिम रेटिंग, जो

एनसीवीईटी द्वारा एए की निगरानी एवं मूल्यांकन के एक भाग के तौर पर विकसित की गई है, के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह रेटिंग एए के कार्य निष्पादन पर आधारित 'क्वांटिफायबल' परिणाम संकेतकों पर आधारित है। इससे एनसीवीईटी निम्न स्तरीय कार्य-निष्पादन वाली एए को रेखांकित करते हुए उत्कृष्ट एए को मान्यता प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने में सक्षम होगी।

## **VII. उद्योग भागीदारी**

एनसीवीईटी मूल्यांकन प्रक्रिया और मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना में उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।

## **VIII. प्रौद्योगिकी संवर्धन**

एनसीवीईटी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि मूल्यांकन के आयोजन में प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहतर रीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं के लिए मूल्यांकनों की सुलभता को बेहतर बनाने तथा मूल्यांकन अभिकरणों की लागत कम करने सहित मूल्यांकन प्रक्रिया के भीतर कई मुद्दों के समाधान में सहायता मिलती है। ऐसे क्षेत्र जहां मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग सीमित है, वहां मूल्यांकनों के आयोजन हेतु मिश्रित मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार, एनसीवीईटी द्वारा ऑन लाइन, ऑफ लाइन और प्रौद्योगिकी पर समुचित निर्भरता सहित मिश्रित और अर्हताओं के लिए उपयुक्त ऑनलाइन पद्धतियों सहित विविध प्रकार की मूल्यांकन पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

## खंड 3 : मूल्यांकन अभिकरणों की मान्यता

### 3.1 मान्यता की परिभाषा

किसी संस्था को मूल्यांकन अभिकरण के तौर पर मान्यता का तात्पर्य है कि उस संस्था को अर्हताओं का मूल्यांकन करने और खंड 1.3 में यथा रेखांकित अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया है।

### 3.2 मान्यता का कार्यक्षेत्र

#### (i) क्षेत्र संबंधी

मान्यता उन्हीं क्षेत्र/क्षेत्रों के लिए वैध होती है, जिनके लिए एनसीवीईटी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। एनसीवीईटी द्वारा मूल्यांकन अभिकरणों को उनकी दक्षता और अनुभव, जैसाकि पात्रता मानदंडों में रेखांकित किया गया है, के आधार पर **किसी एक क्षेत्र अथवा बहु-क्षेत्रों** में मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। यह सूचना आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी हिताधारकों के पास उपलब्ध हो।

क्षेत्र का तात्पर्य है मुख्य आर्थिक कार्य, उत्पाद, सेवा अथवा प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यावसायिक कार्यकलापों का समूहन। क्षेत्रों की सूचीबद्धता एनसीवीईटी द्वारा ऐसे सभी प्रयोजनों के लिए की जाएगी, जिनको दिशा-निर्देशों में परिभाषित किया गया है।

#### (ii) भौगोलिक

भौगोलिक मान्यता से तात्पर्य एनसीवीईटी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्यांकन आयोजित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करना है। एनसीवीईटी द्वारा एए को राज्य-वार भौगोलिक मान्यता प्रदान की जाएगी। मूल्यांकन अभिकरण पात्रता मानदंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर एक राज्य अथवा बहु राज्यों में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं।

**नोट : एक बार मान्यता प्रदान किए जाने के उपरांत, एए अतिरिक्त क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में मान्यता के लिए पात्रता मानदंडों में यथा रेखांकित अनुभव और दक्षता का साक्ष्य प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं।**

### 3.3 मान्यता की श्रेणियां

#### (i) स्टैंडर्ड मान्यता

प्रशिक्षुओं के लिए मूल्यांकन आयोजित करने के लिए अधिकृत संस्था द्वारा स्टैंडर्ड मान्यता प्राप्त की जाएगी। इन मान्यता प्राप्त संस्थाओं का मूल्यांकन आयोजन हेतु एबी द्वारा भी नाम दर्ज किया जाएगा।

## (ii) 'इयूल' मान्यता

मूल्यांकन और प्रमाणन का आयोजन करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा 'इयूल' मान्यता प्राप्त की जाएगी।

'इयूल' मान्यता के अन्तर्गत संभावित मामले होंगे:

- (क) मान्यता प्राप्त अधिनिर्णय निकाय अपनी अनुमोदित अर्हताओं के लिए अपने परिसर में प्रत्यक्ष तौर पर प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षणों हेतु एए के तौर पर मान्यता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है।
- (ख) केन्द्रीय मंत्रालय/राज्य विभाग/सरकारी संस्थान अथवा निकाय 'इयूल' मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

'इयूल' श्रेणी की मान्यता के अधीन आवेदन करने वाली संस्था द्वारा निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा:-

- कार्मिक, प्रणालियों एवं प्रबंधकीय नियंत्रणों को पृथक-पृथक करना
- वित्तीय संसाधनों को पृथक-पृथक करना
- स्थापित ट्रैक रिकार्ड और बाजार प्रतिष्ठा

एबी द्वारा मूल्यांकन बोर्ड की स्थापना करने के लिए कदम उठाने चाहिए इसकी स्थापना किए जाने तक, एक ही व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन और प्रशिक्षण कार्य नहीं किए जाएंगे।


## (iii) विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में विद्यार्थियों को प्रारंभिक दौर में विशेष तौर पर मिडल एवं माध्यमिक विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करे और कई अन्य व्यवसायों की जानकारी प्राप्त करे, गुणवत्तापरक व्यावसायिक शिक्षा का उच्चतर शिक्षा में समेकन करने पर बल दिया गया है जिन मामलों में विशिष्ट रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक अर्हता में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है अथवा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, वहां मूल्यांकन आयोजित करने के लिए स्कूल बोर्ड को निम्नलिखित दो तरीको से मान्यता प्रदान की जा सकती है:-

- (क) बोर्ड को अपने स्वयं के प्रशिक्षण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन आयोजित करने के लिए एबी और एए के अंतर्गत 'इयूल' श्रेणी की मान्यता प्रदान करना।
- (ख) प्रदान किए गए प्रशिक्षण के लिए एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त एए के माध्यम से तृतीय पक्ष मूल्यांकन।

### 3.4 मान्यता प्रक्रिया

एए की मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया वर्ष भर खुली रहती है। पात्र एएएनसीवीईटी की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकती है। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और अनुदेशों को प्रचालन नियमावली में रेखांकित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया और इसके मूल्यांकन का स्नैपशॉट निम्न आकृति में दिया गया है।







नोट: एनसीबीईटी द्वारा ऑनलाइन प्रणाली लागू किए जाने तक आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया कदम 3 से प्रारंभ की जाएगी और संगठनों को एनसीबीईटी द्वारा नियत प्रपत्र में आवेदन करके इसे ई-मेल और हार्ड प्रतियों के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। सभी पावतियां, आवश्यक पत्राचार और सूचना संकलन ई-मेल, जिसका ब्यौरा आवेदन पत्र में दिया जाएगा और यह एनसीबीईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, के माध्यम से किया जाएगा।

### 3.5 मान्यता शुल्क

एए के तौर पर मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्था को 1,00,000/-रुपए (निरस्त किए जाने की स्थिति में 50,00/- रुपए प्रतिदाम) मान्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क पूर्ण रूप से भरे हुए और सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए आवेदन की मान्यता प्रक्रिया के कदम 3 पर भुगतान करना होगा।

ए बी द्वारा संबद्धता/प्रत्यापन के तौर पर एए से किसी प्रकार का अन्य शुल्क प्रभावित नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मान्यता के 3 वर्ष पूरे होने के उपरांत 2 वर्ष की अवधि के लिए 'फास्ट ट्रैक' नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय कोई अतिरिक्त प्रभार देय नहीं होगा।

### 3.6 मान्यता अवधि

एए की मान्यता और 'तत्संबंधी एए दिशा-निर्देशों का अधिदेश एनसीबीईटी और मान्यता प्राप्त मूल्यांकन अभिकरण के बीच करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।'

मान्यता की अवधि निम्नानुसार होगी:

- (i) प्रारंभ में, एनसीबीईटी द्वारा एए को तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी।
- (ii) उपर्युक्त अवधि पूर्ण होने के उपरांत, एए द्वारा फास्ट ट्रैक नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा, जिसे अनुमोदित किए जाने की स्थिति में मान्यता मूल अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष के लिए और विस्तारित होगी। यह नवीनीकरण जोखिम रेटिंग संरचना और प्रचालन नियमावली (ओएम) में वर्णित निरंतरता मानदंडों की अनुपालना के अनुसार एए के कार्य निष्पादन पर आधारित होगा।
- (iii) 5 वर्ष की कुल अवधि समाप्त होने के उपरांत, एए के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

उपर्युक्त (ii) और (iii) के लिए, एए को मान्यता अवधि समाप्त होने से 6 माह पूर्व आवेदन करना होगा। मान्यता प्राप्त एए द्वारा ऐसे पुनः आवेदन/फास्ट ट्रैक नवीनीकरण अनुरोध पर मान्यता प्राप्त निकाय के पास मान्यता विस्तार अथवा उसे रद्द किए जाने तक मान्यता जारी रखने का विशेषाधिकार होगा, परंतु यह मान्यता अवधि के समाप्त होने के 6 माह पूर्व आवेदन किए जाने के अध्यधीन होगा। एए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी प्रशिक्षण बैच मान्यता अवधि के अतिरिक्त न हो।

एनसीबीईटी के पास आवधिक समीक्षा और लेखा परीक्षा/हितधारकों की तरफ व्यापक अनियमितता की रिपोर्ट के आधार पर मान्यता को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

### 3.7 मान्यता प्रदान करने वाले करार के उल्लंघन पर कार्रवाई

परिषद मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा मान्यता प्रदान करने वाले करार की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर उनके खिलाफ निम्नलिखित में से कोई एक अथवा एक से अधिक कार्रवाई कर सकती है:-

- (i) निजी चेतावनी;
- (ii) सार्वजनिक चेतावनी;
- (iii) कतिपय कार्यकलापों को समाप्त करने और रोकने के निर्देश;
- (iv) अर्थदंड अधिरोपित करना;
- (v) निलंबन;
- (vi) मान्यता प्राप्त निकाय की मान्यता समाप्त करना, जिससे वह समझौता समाप्त हो जाता है जिसके अनुशरण में मान्यता प्रदान की गई थी।

#### निलंबन

मान्यता प्राप्त एए को एनसीबीईटी द्वारा जारी की गई प्रचालन नियमावली में वर्णित जोखिम मूल्यांकन संरचना के अनुसार अत्यधिक जोखिम वाली श्रेणी में आने पर लगातार दो वर्ष के लिए **निलंबित** किया जा सकता है।

ऐसे एए को निलंबन के उपरांत दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए छह माह का समय दिया जाएगा और अनुपालना संतोषजनक पाए जाने पर उनकी मान्यता को एनसीबीईटी के विवेकानुसार पुनः बहाल किया जा सकता है।

#### मान्यता समाप्त करना

किसी एए की मान्यता निम्नलिखित परिदृश्यों में समाप्त की जा सकती है:-

- (i) एए की भ्रष्ट और/अथवा जालसाजी वाले कदाचारों में संलिप्तता सिद्ध होने पर।
- (ii) निलंबन के 6 माह के उपरांत दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने में विफल रहने पर।
- (iii) एए द्वारा फ्रेंचाईजी आधार पर कार्य करने अथवा अन्य संस्थाओं को मूल्यांकन कार्य आदरसोर्स करने में संलिप्तता पाए जाने पर।
- (iv) एए के शासी निकाय के सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने और/ अथवा कार्य करना बंद करने पर गणपूर्ति के लिए अयोजित न्यूनतम सदस्य संख्या से कम संख्या होने पर।

ऐसे एए को किसी लंबित कार्य को पूरा करने के लिए मान्यता समाप्त किए जाने के उपरांत 6 माह का समय दिया जाएगा।

### **3.8 मान्यता को वापस लौटाना**

यदि कोई एए अपनी मान्यता को वापस लौटाना चाहता है, तो यह मान्यता वापस लौटाए जाने की प्रस्तावित तारीख से अन्यून 90 दिन पूर्व मान्यता वापस लौटाए जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए एनसीबीईटी को औपचारिक सूचना प्रदान करके ऐसा कर सकता है।

## खंड 4 : प्रचालन प्रतिमान

एनसीबीईटी द्वारा दिशा-निर्देशों में वर्णित पात्रता मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन अभिकरणों को मान्यता प्रदान की जाएगी। शिक्षुओं और उद्योग जगत की बदलती हुई आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं से संबंध गतिशीलता के दृष्टिगत, मूल्यांकनों के डिजाइन विकास और आयोजन के लिए प्रचालन प्रतिमान का नयाचार अनवरत जारी रहेगा और इसे भविष्य की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

हालांकि, प्रचालन प्रतिमान को विकसित किए जाने का सारांश उत्कृष्ट एए परिदान गुणवत्ता मूल्यांकन का अभिनिर्धारित करना होगा।

### 4.1 प्रचालन प्रक्रिया

एनसीबीईटी द्वारा निम्नलिखित प्रचालन प्रतिमानों को लागू किया जाएगा:-

#### 1. तृतीय पक्ष मूल्यांकनों के आयोजन हेतु एए की मान्यता

एनसीबीईटी दिशा-निर्देशों के खंड 5 में वर्णित पात्रता मानदंडों के आधार पर मान्यता प्राप्त एए का एक समूह तैयार करेगी। तदुपरांत, एबी को एए के आबंटन हेतु दो चरण होंगे।

**चरण I:-** चरण-2 में, अधिनिर्णय निकाय के पास अर्हता के मूल्यांकन हेतु अपनी क्षेत्र संबंधी और भौगोलिक अपेक्षाओं के आधार पर इस मान्यता प्राप्त एए समूह में से किसी एक मूल्यांकन एजेंसी/एसेंसियों का चयन करने का अधिकार होगा।

**चरण II:-** चरण-II में, एनसीबीईटी द्वारा अपनी क्षमता विकसित किए जाने पर, ए बी और संबंधित एए के बीच अपेक्षाओं का मापन करने के लिए एम एल (मशीन अधिगम) सहित ए आई समर्थित प्लेटफार्म के माध्यम से मूल्यांकन अभिकरणों का ए बी आबंटन रैंडम आधार पर किया जाएगा। ऐसे ए आई आधारित प्लेटफार्म में भाषा और भौगोलिक उपलब्धता, रोजगार भूमिका, आवश्यक कौशल समूह, क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञता जैसी शर्तों के आधार पर ए बी और एए के मापन हेतु अन्तर्निहित एलगोरियम होगा। यह ऑनलाइन प्रणाली ए बी द्वारा ऐसे मूल्यांकन का अनुरोध किए जाने पर स्वतः एए को प्रशिक्षण बैच का आबंटन करेगी।

**एनसीबीईटी** द्वारा एए और उनके मूल्यांकनकर्ताओं की रेटिंग के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी। मूल्यांकन हेतु एए के आबंटन के लिए एलगोरिथम में एए, मूल्यांकनकर्ता और प्रोक्टर पर विचार करते हुए उच्च कार्य निष्पादन वाले एए को आबंटन प्रक्रिया में वरीयता प्रदान की जाएगी।

नोट: इन दोनों चरणों में, एबी द्वारा एए की संबंधिता की और आवश्यकता नहीं होगी। एनसीबीईटी दिशा-निर्देशों में नियत मानकों के अनुसार मूल्यांकन का आयोजन करने और मूल्यांकन शुल्क को साझा करने के लिए एए संबंधित एबी के साथ करार हो सकता है।

मूल्यांकन शुल्क विभिन्न योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा जिसके तहत प्रशिक्षण का वित्त पोषण किया जाएगा और जिसमें से न्यूनतम 60 प्रतिशत एए को प्रदान किया जाएगा।

## 2. केन्द्रीयकृत मूल्यांकनों के आयोजन हेतु एए के तौर पर मान्यता

यह 'ड्यूल' मान्यता वाले निकायों के मामले में लागू होगी, जहां मूल्यांकनों के आयोजनों हेतु ए बी की स्वयं की आन्तरिक प्रणालियां होती हैं, जैसे:

- (i) सरकारी विभाग/सरकारी संस्थान अथवा निकाय
- (ii) सरकार के विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विश्वविद्यालय इत्यादि जहां उनकी अनुमोदित अर्हताओं के लिए उनके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ऐसे निकायों/एबी को एनसीबीईटी द्वारा दिशा-निर्देशों के खंड 5 में वर्णित पात्रता मानदंडों के आधार पर एए के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।

## 3. स्वतंत्र मूल्यांकन केन्द्र

वैश्विक गोष्ठ रीतियों के अनुसार, एनसीबीईटी मूल्यांकन अधिकरणों (एए) और अन्य संगत संस्थाओं जैसे पीएमके/आईआई एससी/प्रतिष्ठित उद्योग कौशल केन्द्रों/संबंध मंत्रालयों द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थानों अथवा अन्य अभिकरणों/संगठनों को स्वतंत्र और क्षेत्र-वार भौतिक मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करेगी, जिनमें शिक्षार्थी प्रशिक्षण करने के बारे/बिना प्रशिक्षण के रोजगार दक्षताओं के लिए अपने कौशल समूहों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे न केवल देश की विशाल भौगोलिक अवस्थिति में गुणवत्तापरक मूल्यांकन की सुलभता बढ़ेगी अपितु घरेलु पारितंत्र में उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें विकसित किया जा सकेगा।

मूल्यांकन केन्द्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्तापरक प्रोक्टर्स, मूल्यांकनकर्ता अपेक्षित शिक्षा शास्त्र के लिए मूल्यांकन उपकरण उपलब्ध है।

इन मूल्यांकन केन्द्रों को ऐसे शिक्षुओं के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन सेवाएं प्रदान करने हेतु संबंधित एबी के साथ सम्पर्क कायम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो ऐसे केन्द्रों की सुविधाओं (वॉक-इन सर्विस) का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसी प्रणाली का लाभ "पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल)" योजना के अन्तर्गत मूल्यांकन हेतु भी उठाया जा सकता है।

एनसीबीईटी, ए बी/प्रशिक्षण प्रदाताओं को ऐसे केन्द्रों, विशेष तौर पर जहां प्रशिक्षण केन्द्र इन मूल्यांकन केन्द्रों के बिल्कुल निकट स्थापित हैं, में मूल्यांकन आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

ऐसे मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना करने की इच्छुक संस्थाओं को एनसीबीईटी द्वारा दिशा-निर्देशों के खंड-5 में यथा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाएगी और उन्हें एनसीबीईटी के साथ अपनी संबंधता को अनवरत बनाए रखने के लिए निरंतरता मानदंडों की अनुपालन करनी होगी।

## 4.2 मूल्यांकन में उद्योग भागीदारी

सभी मान्यता प्राप्त एए को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने, उद्योग की सक्रिय भागीदारी को सुदृढ़ करने और मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्योग जगत के साथ समेकन निम्न स्थलों के माध्यम से किया जा सकता है:-

- प्रश्न बैंक तैयार करने और इसके अद्यतनीकरण के लिएएस एमई के तौर पर उद्योग पेशेवरों को 'हायर' करके अथवा उद्योग के साथ संबंधता स्थापित करके
- मूल्यांकन उपकरणों के अभिकल्पन में उद्योग जगत की सहभागिता
- विशेषज्ञों और मूल्यांकनकर्ताओं के तौर पर संगत उद्योग के अनुभवी व्यक्तियों की भागीदारी
- मूल्यांकन प्रक्रिया विशेष तौर पर प्रैक्टिकल के लिए 'आबजर्वर' के तौर पर उद्योग की सहभागिता। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में उद्योग जगत का विश्वास बढ़ेगा और यह अभ्यर्थियों की नौकरियों में भर्ती में सहायक होगा।
- एनसीबीईटी मुख्य उद्योगों/उद्योग संघों को स्वतंत्र मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

## 4.3 प्रौद्योगिकी संवर्धन

एनसीबीईटी सभी क्षेत्रों (गैर आईटी आधारित क्षेत्रों सहित) में प्रौद्योगिकी उपयोग का संवर्धन करने के लिए प्रयासरत है। मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं (स्टैंडर्ड एवं इयूल दोनों) के पास ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिश्रित मूल्यांकन आवश्यकताओं के लिए आई समर्थित परीक्षण 'इंजन' और 'प्लेटफार्म' होने चाहिए। मूल्यांकन परिदान में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए ऐसा प्लेटफार्म विभिन्न प्रकार की 'डिवाइसिस' एवं विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी होना चाहिए। इसमें ऐसे क्षेत्रों जहां कनेक्टिविटी एक चुनौती है, के लिए गैर-इंटरनेट आधारित मूल्यांकन प्रदान करने सहित नेविगेशन नियंत्रण, जियो रैगिंग और किसी कदाचार के मामले में 'फ्लैग' करने की क्षमता के माध्यम से मूल्यांकन की निगरानी करने की तकनीकी क्षमता भी होनी चाहिए। एनसीबीईटी दूरस्थ 'प्रोक्टोरिंग' को प्रोत्साहित करती है और ऑनलाइन 'प्रोक्टोरिंग' अथवा

मूल्यांकन केन्द्रों पर जारी मूल्यांकन को रिकार्ड करने के लिए ऑटो-प्रोक्टोरिंग के लिए आडियां एवं विडियो प्रणालियों वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

## **खंड 5: मूल्यांकन अधिकरणों की मान्यता के लिए पात्रता मानदंड**

मूल्यांकन अभिकरणों की मान्यता के लिए पात्रता मानदंडों में मूल्यांकन अभिकरण (एए) की क्षमता में एनसीबीईटी के साथ संबंधता के लिए संस्थाओं/संगठनों की उपयुक्तता को परिभाषित किया गया है।

ये पात्रता शर्तें किसी भी श्रेणी में मूल्यांकन अभिकरणों अर्थात् 'स्टैंडर्ड' मान्यता, 'इयूल' मान्यता अथवा स्वतंत्र मूल्यांकन केन्द्रों के तौर पर मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक सभी एजेंसियों पर लागू होंगी।

'इयूल' अभिकरण के तौर पर मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं को मूल्यांकन हेतु सभी शर्तों और 'अवर्डिंग' कार्यों के लिए पृथक-पृथक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

पात्रता शर्तों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों का प्रचालन नियमावली में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

### **1. विधिक स्थिति**

- (क) संस्था भारत और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (जैसा भी मामला हो) के अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करने के लिए विधिक तौर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। संस्था भारत में कंपनी/सोसायटी/धर्मार्थ न्यास/सीमित देयता भागीदारी/संघ के तौर पर उपयुक्त प्राधिकरण के साथ पंजीकृत/संबंधित होनी चाहिए।
- (ख) कंसोर्टियम (संघ) के मामले में, अग्रणी भागीदार, जिसके द्वारा आवेदन किया जाना अपेक्षित होगा, का सुस्पष्ट अभिनिर्धारण किया जाना चाहिए। यदि किसी समय अग्रणी भागीदार संघ का परित्याग कर देता है तो ऐसी संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
- (ग) यदि कोई विदेशी संस्था एनसीबीईटी के साथ संबंधता का आशय रखती है, तो वे एफसी आरए दिशा-निर्देशों और मानदंडों की अनुपालना करते हुए निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकती हैं:-
  - (i) आवेदन भारत में पंजीकृत किसी आनुषंगिक संस्था द्वारा किया जाना चाहिए।
  - (ii) वे भारतीय आनुषंगिक संस्था के साथ भागीदारी/कंसोर्टियम में कार्य कर सकती हैं। कंसोर्टियम के मामले में अग्रणी भागीदार का सुस्पष्ट निर्धारण होना चाहिए।

- (घ) संस्था को किसी सरकारी एजेंसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों अथवा किसी अन्य विनियामक निकाय द्वारा काली सूची में न रखा गया हो।
- (ङ) संस्था के पास वैद्य पैन, जीएसटी और भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन अन्य सांविधिक अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए।
- (च) हितों का टकराव रोकने के लिए, प्रशिक्षण संस्थान एए के तौर पर मान्यता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी।

### **'इयूल' मान्यता वाली संस्थाएं**

- (क) उपर्युक्त के अतिरिक्त, 'इयूल' मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाएं 'लाभ न कमाने वाली' होनी चाहिए।
- (ख) खंड '1 च' में तभी छूट प्रदान की जाती है यदि भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसी दोहरे कार्यों के लिए स्थापित संस्थाएं एए के तौर पर मान्यता के लिए आवेदन करती हैं।

## **2. वित्तीय व्यवहार्यता**

संभावित मूल्यांकन अभिकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्था को अपनी वित्तीय व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:-

- (क) गत तीन वित्त वर्षों में 3 करोड़ रुपए का न्यूनतम टर्नओवर (संचयी)
- (ख) संस्था का कर पूर्व सकारात्मक लाभ होना चाहिए।
- (ग) कम से कम एक वर्ष के लिए प्रचालन भुगतानों और ऋण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय सृजन हेतु निधियों की उपलब्धता।
- (घ) संस्था की सकारात्मक निवल पूंजी होनी चाहिए।

## **3. पूर्व अनुभव**

संस्था को वीडिटी मूल्यांकन के क्षेत्र में पूर्व अनुभव प्रदर्शित करना होगा। इसका निर्णय निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा:-

- (क) संस्था आवेदन वर्ष सहित कम से कम 3 वर्ष की सतत् अवधि के लिए मूल्यांकन कार्य में संलग्न होनी चाहिए।



- (ख) संस्था द्वारा गत तीन वर्षों में किन्हीं 2 वर्षों में मूल्यांकन अभिकरण की मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक क्षेत्र में निम्न संख्या में अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया गया हो:-

प्रार्थित मान्यता		आयोजित मूल्यांकन
श्रेणी 'I'	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7,500
श्रेणी 'II'	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15,000
	अखिल भारतीय स्तर	75,000

श्रेणी 'I' और श्रेणी 'II' में राज्यों का वर्गीकरण वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार युवा जनसंख्या (15-29 वर्ष आयु समूह) के आधार पर किया गया है। तत्संबंधी सूची प्रचालन नियमावली के संलग्न की गई है।

- (ग) एक से अधिक राज्यों के लिए आवेदन करने वाली संस्था के लिए पूर्व अनुभव के तौर पर आयोजित किए मूल्यांकनों की संख्या उपर्युक्त संख्या का योग होगा (आवेदन किए गए राज्यों की संख्या के अनुसार) बशर्ते कि संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर, इसके लिए अखिल भारतीय पात्रता मानदंड लागू होगा, के लिए आवेदन न किया गया हो।
- (घ) एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्था को उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपना अनुभव दर्शाना होगा।
- (ङ.) मान्यता दिशा-निर्देशों के खंड 5.5 के सूचीबद्ध क्षेत्र और भौगोलिक विश्वसनीयता को पूरा किए जाने के अध्यधीन होगी।
- (च) आनुषंगिक संस्थाओं के लिए, मूल संगठन के अनुभव पर एनसीवीईटी के विवेक अनुसार विचार किया जा सकता है, यदि आनुषंगिक संस्था का गठन मूल संगठन द्वारा विशिष्ट तौर पर मूल्यांकन अभिकरण के प्रयोजनार्थ किया गया हो और आनुषंगिक संस्था का प्रबन्ध नियंत्रण मूल्य निकाय के पास हो।

## छूट

उपर्युक्त शर्तों में एनसीवीईटी के विवेकानुसार निम्न के लिए छूट प्रदान की जा सकती है:-

- (i) सरकारी निकाय
- (ii) उद्योग निकाय

- (iii) आवास क्षेत्रों / उभरती हुई प्रौद्योगिकियों / परम्परागत और विरासत कौशलों के क्षेत्रों में कार्यरत निकाय,
- (iv) एल डब्लू ई क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर इत्यादि जैसे कठिन भू-भागों में कार्यरत निकाय
- (v) दिव्यांगजनों, महिलाओं इत्यादि की विशेष आवश्यकताओं वाले समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए कार्यरत निकाय
- (vi) स्वतंत्र मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना करने की इच्छुक संस्थाएं।

#### 4. अभिशासन और जनशक्ति

##### (क) अभिशासन

मूल्यांकन अभिकरण के तौर पर मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्था की अभिशासन संरचना में निम्न दर्शाया गया हो:-

- (i) उपयुक्त नियंत्रणों एवं स्पष्ट तौर पर अभिनिर्धारित प्राधिकरणों सहित स्वामित्व और प्रबंधन संरचना में पारदर्शिता
- (ii) संस्था के मुखिया/सीईओ की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाएगी और उसे कोई अतिरिक्त प्रभार/अंशकालिक दायित्व नहीं सौंपे जाएंगे।
- (iii) संस्था के मुखिया/सीईओ को निम्नलिखित में से कोई एक साक्ष्य होने की स्थिति में उस भूमिका के लिए अनुपयुक्त समझा जाएगा:-
  - उसके विरुद्ध कोई सूचित आपराधिक अभियोजन
  - किसी न्यायालय अथवा किसी व्यावसायिक, विनियामक या सरकारी निकाय द्वारा आदेश /आदेशों के तौर पर कोई निष्कर्ष कि उसने किसी विधान के उपबंध का उल्लंघन किया गया है अथवा किसी एसी विनियामक अनिवार्यता का उल्लंघन किया है, जिसके वह अध्यक्षीन है
  - दीवालिया होने संबंधी कोई कार्यवाही
  - कंपनी के निदेशक पद अथवा सरकारी कार्यालय में पद धारण के लिए कोई अयोग्यता
  - सदाचार अथवा कुप्रबंधन का कोई मामला

- (iv) प्रलेखित मानक प्रचालन प्रक्रिया-विधियां, जिनमें भर्ती, प्रशिक्षण, प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणालियों को विशेष तौर पर रेखांकित किया गया हो।

## ख) जनशक्ति

संस्था के पास निम्नलिखित की उपलब्धता होनी चाहिए:-

- i) राज्यों और क्षेत्रों में, जिनके लिए मान्यता प्रार्थित है, अर्हता/क्षेत्र के लिए अपेक्षाओं के अनुरूप प्रमुख मूल्यांकन कर्मियों जैसे प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता और प्रोक्टर्स (नियुक्त और/अथवा संविदा आधार पर) की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए।
- ii) मूल्यांकन उपकरणों, मूल्यांकन हेतु, अनुदेशात्मक डिजाइन को तैयार करने प्रश्न बैंक विकास, कार्य-निष्पादन रिपोर्टिंग और विश्लेषण कार्यों के लिएएसएमई सहित अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता।
- iii) महत्वपूर्ण कार्यात्मक दलों, जिनमें एमआईएस, आईटी, विषय-वस्तु विकास इत्यादि शामिल हैं परंतु इन तक सीमित नहीं, की उपस्थिति।

## 'ड्यूल' मान्यता वाली संस्थाएं

- (क) उपर्युक्त के अतिरिक्त, 'ड्यूल' मान्यता वाली संस्थाओं द्वारा 'अवार्डिंग' और मूल्यांकन कार्यों के लिए प्रथक कार्मिक, प्रणालियां और प्रबंधकीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी प्रथक्कीकरण इस प्रकार किया जाए कि 'अवार्डिंग' और मूल्यांकन शाखाएं दो अलग-अलग कारोबार यूनिटों अथवा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सहित स्वतंत्र विभागों के तौर पर कार्य करें।
- (ख) 'ड्यूल' एजेंसी के तौर पर मान्यता संस्थाओं को 'हितों का टकराव' संबंधी एक निति तैयार करनी होगी।

## 5. क्षेत्र और भौगोलिक विश्वसनीयता

### (क) क्षेत्र संबंधी/ अधिकार क्षेत्र विश्वसनीयता

- (i) क्षेत्र संबंधी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संस्था के पास पार्थिव मान्यता क्षेत्र में मूल्यांकनों को आयोजित करने का प्रमाण होना चाहिए।
- (ii) संस्था के पास विषय विशेषज्ञों (एस एम ई) और अपने क्षेत्र / विषय में दक्ष सहायक टीम सदस्यों की उपलब्धता होनी चाहिए। संस्था को प्रार्थित मान्यता के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कम से कम एक एस एम ई की भर्ती करनी होगी।

- (iii) संस्था के पास पर्याप्त संस्था से मूल्यांकनकर्ता / परीक्षक तथा क्षेत्र और संबंधित अर्हताओं में मूल्यांकनों के परिदान के लिए प्रोक्टर्स की उपलब्धता होनी चाहिए।

#### **(ख) भौगोलिक उपस्थिति**

- (i) संस्था के पास मूल्यांकन परिदान सुविधा के लिए क्षेत्र की स्थानीय भाषा में पारंगत मूल्यांकनकर्ता / परीक्षक और प्रोक्टर्स होने चाहिए।
- (ii) संस्था के पास प्राथित मान्यता क्षेत्र में मातृभाषाओं में मूल्यांकन उपकरण और प्रश्न बैंक होने चाहिए।

### **6. अवसंरचना और सुलभ मूल्यांकन उपकरण**

मूल्यांकन अभिक्रम के तौर पर मान्यात प्राप्त करने का आशय रखने वाली संस्था को अवसंरचना और मूल्यांकन उपकरणों के अर्थों में निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:

#### **(क) अवसंरचना**

- (i) भारत में पंजीकृत कार्यालय, जिसके परिसर प्रायोजक संगठन (यदि कोई हो) के कार्यालय को अनिवार्य तौर पर स्वतंत्र / अलग होना चाहिए।
- (ii) निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूचनाओं सहित पूर्ण तौर पर कार्यात्मक वेबसाइट:-
- प्रचालन दलों का ब्योरा
  - मूल्यांकनकर्ता और प्रोक्टर्स का ब्योरा जैसे अर्हता, औद्योगिक एवं शैक्षिक अनुभव
  - प्राथित मान्यता के विषय और क्षेत्र के संदर्भ में विभिन्न अर्हताओं के लिए नमूना मूल्यांकन पत्र
  - मूल्यांकन परिदान के सुदृढीकरण हेतु उद्योग संबंधों की सूचना
  - शिकायत समाधान प्रणालियों की जानकारी

#### **(ख) मूल्यांकन उपकरण और सुलभता**

- (i) अर्हता से संबंधित मूल्यांकन परिदान (ऑफलाइन, मिश्रित, ऑनलाइन, प्रोक्टर्ड) में सहायता हेतु पर्याप्त संख्या में मूल्यांकन उपकरणों एवं सहायक सामग्रियों की उपलब्धता होनी चाहिए।
- (ii) एआई समर्थित परीक्षा, इंजन, 'रैंडम' तरीके से विविध प्रश्नों की परिदान क्षमता सहित, की उपलब्धता होनी चाहिए जो सभी हितधारकों के लिए मूल्यांकन जीवन चक्र डैशबोर्ड और कार्य-निष्पादन विश्लेषण प्रदान करे।

(iii) दिव्यांग भिक्षुओं के लिए मूल्यांकन परिदान हेतु निम्नलिखित उपकरण अनिवार्य 'मार्कर' होंगे:-

- विशिष्ट दिव्यांग आधारित मूल्यांकन विषय-वस्तु तैयार करने के लिए विशेष अनुदेशकों/विषय-वस्तु डिवलपर्स की उपलब्धता।
- दिव्यांग प्रशिक्षुओं को समझने और उनके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रशिक्षित प्रोक्टर्स और मूल्यांकनकर्ताओं की उपलब्धता।
- मूल्यांकन परिदान और निगरानी के लिए आईसीटी उपकरणों की उपलब्धता।
- दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकाशित परिणामों की उपलब्धता।

## 7. समग्र कार्य योजना

समग्र योजना सुनिश्चित करने के उपाय के तौर पर संस्था के पास सुव्यवस्थित कार्य योजना होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शनीय साक्ष्यों को रेखांकित किया गया हो:-

- (क) आगामी वित्त वर्ष के लिए अंतर्निहित अनुमानों (राजस्व, योजनाबद्ध मूल्यांकन इत्यादि) के आधार सहित बजट अनुमानों की उपस्थिति।
- (ख) मूल्यांकनकर्ताओं, प्रोक्टर्स और एसएसई, यथा अपेक्षित, की सहभागिता सहित विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थानों में प्रस्तावित मूल्यांकन के लिए कार्यान्वयन योजना का विवरण।
- (ग) व्यापक जोखिम योजना और उपशमन कार्यनीतियों की उपस्थिति।
- (घ) वर्तमान में जारी अनुसंधान और नवाचार की उपस्थिति ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्था प्रक्रिया और उत्पाद/उत्पादों के संदर्भ में अपना श्रेष्ठ कार्य कर रही है।

## 8. मूल्यांकन कार्यनीति और परिदान

(क) संस्थान के पास निम्नलिखित के लिए प्रलेखित मानक प्रचालन प्रक्रिया विधियां होनी चाहिए:-

- मूल्यांकन कार्यनीति का विकास
- विषय-वस्तु विकास (प्रश्न बैंक सहित)
- मूल्यांकन एवं परिदान प्रक्रियाएं
- कार्य-निष्पादन प्रतिवेदन एवं विश्लेषण

- प्रोक्टर्स और मूल्यांकनकर्ताओं की चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और प्रशिक्षण एवं प्रमाणन
  - मूल्यांकनकर्ताओं, प्रोक्टर्स और एसएमई की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व।
- (ख) एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोक्टर्स और मूल्यांकनकर्ताओं का विषय-बोध, प्रशिक्षण और 'कैलिब्रेशन' उन संगत अर्हताओं के लिए किया जाए जिनके लिए मूल्यांकन किए जाने हैं।
- (ग) मूल्यांकन कार्यकलापों में संलिप्त सभी कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शी प्रक्रियाओं की अनुपालना की जानी चाहिए।
- (घ) आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन चक्र के सभी स्तरों पर गुणवत्ता आश्वासन हो।
- (ङ) प्रक्रियागत अनुपालना प्रलेखन के साथ ही संस्था द्वारा निम्नलिखित की उपलब्धता और उपयोगिता को सुनिश्चित एवं प्रदर्शित भी किया जाना चाहिए:-
- आवधिक तौर पर मूल्यांकन विषय-वस्तु को दोबारा तैयार करने के लिए अपेक्षित प्रणालियों सहित क्रमशः ऑनलाइन और मिश्रित मूल्यांकन जीवनचक्रों के परिदान एवं निगरानी हेतु अद्युनातन प्रौद्योगिकी।
  - मूल्यांकन केन्द्रों में जारी मूल्यांकन को अभिलिखित करने के लिए ऑनलाइन प्रोक्टोरिंग और/अथवा ऑटो प्रोक्टोरिंग के लिए ऑडियो-वीडियो प्रणालियों की उपलब्धता।
  - मूल्यांकनकर्ताओं और प्रोक्टर्स के लिए जियो-टैगिंग सुविधाओं की उपलब्धता ताकि प्रशिक्षण/मूल्यांकन केन्द्रों में उनकी उपस्थिति को सत्यापित किया जा सके।
  - ऑटो ऑनलाइन प्रोक्टोटिंग के विशेष संदर्भ सहित मूल्यांकन किए जा रहे अभ्यर्थियों के ऑनलाइन सत्यापन और अधिप्रमाणन की उपलब्धता।

## 9. डाटा प्रबंधन प्रणालियां

प्रभावी डाटा प्रबंधन के लिए, संस्था द्वारा निम्नलिखित दर्शाया जाना चाहिए:-

- (क) सभी संगत मूल्यांकन ब्यौरों को अभिलिखित करने, उनका वैधीकरण करने और तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रणालियां।
- (ख) परिणामों सहित प्रशिक्षुओं संबंधी जानकारी की सुरक्षा हेतु सुस्पष्ट तौर पर प्रलेखित प्रक्रिया-विधियां।
- (ग) डाटा संकलन और डाटा के लिए उपकरणों एवं संगत साफ्टवेयर की उपलब्धता।

- (घ) संकलित मूल्यांकन डाटा का विश्लेषण करने और प्रचालनों को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशलों सहित प्रबंधन और अधिगम सहायक स्टाफ।
- (ङ) संस्था द्वारा सरकारी विधियों/मानदंडों के अनुसार डाटा रख-रखाव और संरक्षण की अनुपालना भी की जानी चाहिए।

## 10. शिकायत समाधान

वीईटी पारितंत्र में गुणवत्ता संरक्षण और शिकायतों के प्रभावी प्रबंधन के लिए, संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिकायतों और 'एक्सेलेशन मैट्रिक्स' हेतु स्पष्ट 'टर्न अराउंड टाइम (टीएटी)' सहित अनुक्रियाशील शिकायत समाधान प्रणाली लागू की जाए। संस्था द्वारा निम्नलिखित का प्रदर्शन किया जाएगा:-

- (क) संस्था द्वारा शिकायत समाधान समिति की स्थापना।
- (ख) उपर्युक्त समिति में प्रतिनिधि के तौर पर तृतीय पक्ष मध्यस्थ/विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति।
- (ग) संस्था के भीतर पीओएसएच समिति की स्थापना।
- (घ) शिकायतों के समाधान हेतु एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर की उपलब्धता।

## खंड 6 : विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों के लिए दिशा-निर्देशों की प्रयोजनीयता

पात्रता मानदंड	सरकारी संस्थाएं				गैर सरकारी ए	स्कूल बोर्ड	कौशल विश्वविद्यालय
	केन्द्रीय मंत्रालय	राज्य विभाग	अन्य सरकारी निकाय	डीजीटी			
विधिक स्थिति	x	x	✓	x	✓	x	✓
वित्तीय व्यवहार्यता क्षेत्र संबंधी विश्वसनीयता <sup>1</sup>	x	x	x	x	✓	x	✓
भौगोलिक विश्वसनीयता <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पूर्व अनुभव	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अवसंरचना एवं सुलभ उपकरण, अभिशासन, प्रशासन एवं जनशक्ति <sup>3</sup>	x	x	x	x	✓	x	✓
मूल्यांकन योजना एवं परिदान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डाटा प्रबंधन प्रणाली	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
उद्योग संबंध	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
समग्र कार्य योजना	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
शिकायत समाधान <sup>4</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓

4 स्कूल बोर्डों की अपनी स्वयं की शिकायत समाधान प्रणाली होगी।

## खंड 7 : निगरानी एवं मूल्य निर्धारण

एनसीवीईटी सभी ए में गुणवत्ता मानकों और विश्वसनीयता अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक गतिशील और बेहतर निगरानी प्रणाली का अधिदेश प्रदान करती है। मान्यता प्राप्त निकाय की मान्यता अवधि के दौरान सुस्पष्ट तौर पर पैरामीटर्स और प्रमाणों के आधार पर कार्य-निष्पादन का अनवरत और आवधिक मूल्यांकन किया जाएगा।

<sup>1</sup>केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, राज्य विभागों, अन्य सरकारी निकायों, स्कूल बोर्डों और डीजीटी को निम्नलिखित खंडों से छूट प्राप्त होगी:

"क्षेत्र संबंधी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए संस्था के पास प्रार्थित मान्यता वाले क्षेत्र में मूल्यांकन आयोजित करने का साक्ष्य होना चाहिए।" (खण्ड 5.5 का)

<sup>2</sup>स्कूल बोर्डों को निम्नलिखित खंड से छूट प्राप्त होगी:-

"संस्था के पास मूल्यांकन परिदान सुविधा के लिए क्षेत्र की स्थानीय भाषाओं में पारंगत मूल्यांकनकर्ता/परीक्षकों और प्रोक्टर्स की उपलब्धता का प्रमाण होना चाहिए।" (खण्ड 5.5ख(ii))

<sup>3</sup>केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, राज्य विभागों, अन्य सरकार सरकारी निकायों, स्कूल बोर्डों और डीपीटी को इस मानदंड के अंतर्गत निम्नलिखित पैरामीटर्स से छूट प्राप्त होगी:-

"स्पष्ट तौर पर अभिनिर्धारित पूर्ण-कालिक विधिक प्रमुख की उपस्थिति, जिसके पास कोई अतिरिक्त उत्तरदायित्व न हो।"



एनसीवीईटी की निगरानी प्रणाली एक परिणाम आधारित प्रणाली है, जिससे एए को जोखिमों का अभिनिर्धारण करने और उपचारात्मक कार्यों के माध्यम से इनका उपशमन करने में सहायता मिलेगी।

## 7.1 उद्देश्य

एए के लिए निगरानी प्रक्रियाओं के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

- यदि एए, एनसीवीईटी के अधीन मान्यता प्राप्त एए की अपेक्षाओं को अनवरत तौर पर पूरा करता है तो उसका मूल्यांकन करना।
- यह सुनिश्चित करना कि मूल्यांकनों में एनसीवीईटी द्वारा नियत अनुपालना और मानकों को पूरा किया है।
- यह सुनिश्चित करना कि एए और इसकी संबंधित संस्थाएं नीतिपरक प्रचालन करें और प्रशिक्षुओं तथा अन्य संबंधित हितधारकों की आवश्यकताओं एवं कल्याण का ध्यान रखें।
- किसी मान्यता प्राप्त एए अथवा इससे मूल्यांकनकर्ताओं/प्रोक्टर्स के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच करना।

## 7.2 प्रणाली

मान्यता प्राप्त एए त्रि-स्तरीय निगरानी प्रक्रिया के अध्यक्षीन होंगे:-

### (i) वार्षिक समीक्षा

एनसीवीईटी द्वारा वार्षिक समीक्षा के एक भाग के तौर पर मान्यता प्राप्त एए के वार्षिक कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए उनकी वार्षिक तौर पर समीक्षा की जाएगी, एए को स्वः मूल्यांकन प्रपत्र, इससे संबंधित आवश्यक प्रमाणों सहित, एनसीवीईटी के सामक्ष प्रस्तुत करना होगा, एनसीवीईटी के मूल्यांकन के आधार पर एए की जोखिम रेटिंग की संगणना की जाएगी। एए की जोखिम रेटिंग के आधार पर, जैसाकि प्रचालन नियमावली में विस्तार से उल्लेख किया गया है, परवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

### (ii) सतत् तौर पर कार्य-निष्पादन निगरानी

एबी द्वारा इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर सम्पूर्ण मान्यता अवधि के दौरान एए के कार्य-निष्पादन की सतत् तौर पर निगरानी की जाएगी। मूल्यांकन जीवनचक्र में किसी भी समय कदाचार का मामला सामने आने पर, एबी द्वारा तत्काल इसकी सूचना एनसीवीईटी को प्रदान करनी होगी। 'ड्यूल्' मान्यता वाले संस्थानों द्वारा एन सीबीईटी के मानदंडों के अनुरूप मूल्यांकन कार्यों की निगरानी के लिए संगठन के भीतर ही निगरानी यूनिट की स्थापना की जाएगी।

### (iii) निरीक्षण

एनसीबीईटी, एए के लिए स्वः निगरानी और स्वः विनियमन संस्कृति को प्रोत्साहन प्रदान करती है। एए से स्वः विनियमन करने और एनसीबीईटी द्वारा नियत गुणवत्ता के सर्व समावेशी सिद्धान्तों के अनुरूप अपने कार्य निष्पादन का संबंधन करने का आग्रह किया जाएगा क्योंकि उनकी समुचित कार्य प्रणाली देश में वीडटी पारितंत्र की सेहत के लिए पूर्व अर्हता है।

स्वः विनियमन के प्रस्तावक के तौर पर एनसीबीईटी का यह मानना है कि एए द्वारा अपने प्रयासों और इसके द्वारा संबंधता प्रदान किए गए मूल्यांकनकर्ताओं और प्रोक्टर्स के लिए एनसीबीईटी की कार्य-निष्पादन मैट्रिक्स के अनुरूप आंतरिक प्रणालियों की स्थापना की जानी चाहिए। अतः मान्यता प्राप्त एए का स्थल निरीक्षण आवश्यकता के आधार पर और असाधारण परिस्थितियों जैसे गंभीर शिकायतें, धोखाधड़ी के कार्यकलाप और मान्यता प्राप्त एए की अत्यधिक जोखिम रेटिंग की स्थिति में ही किया जाएगा। एनसीबीईटी यथा उपयुक्त समझे जाने वाले तरीके के प्रशिक्षण/मूल्यांकन केन्द्रों का औचक निरीक्षण भी कर सकती है।

### 7.3 निरंतरता मानदंड: निगरानी के लिए पैरामीटर्स

जबकि पात्रता मानदंडों में एनसीबीईटी के अन्तर्गत एए की मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थाओं के प्रवेश हेतु मूलभूत पैरामीटर्स का निर्धारण किया गया है, निरंतरता मानदंडों में प्रभावी कार्य-निष्पादन और इनकी कार्यप्रणाली में प्रभावशीलता के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानक संकेतकों का प्रावधान किया गया है। निरंतरता मानदंड एनसीबीईटी के साथ अभिकरणों की संबंध की निरंतरता हेतु विश्वसनीय और कड़े मानदंडों की जांच और मूल्य निरूपण हेतु तैयार किए गए हैं।

किसी भी श्रेणी (स्टैंडर्ड मान्यता, 'इयूल' मान्यता अथवा स्वतंत्र मूल्यांकन केन्द्र) में सभी मान्यता प्राप्त मूल्यांकन अभिकरणों के लिए निरंतरता मानदंडों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा। 'इयूल' मान्यता का आशय रखने वाली संस्थाओं के लिए मूल्यांकन एवं 'अवार्डिक' कार्यों के लिए पृथक-पृथक तौर पर इन सभी शर्तों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

#### 1. वित्तीय

##### (क) प्रचालनों की वर्तमान में जारी वहनीयता

एए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसके प्रचालनों की निरंतरता सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के माध्यम से जारी रहे।

(ख) वित्तीय रिकार्ड कीपिंग:- एए द्वारा निम्न के माध्यम से विवेकशील एवं पारदर्शी 'रिकार्ड पारदर्शी' सुनिश्चित की जानी चाहिए :-

(i) स्थापित एवं स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों की अनुपालना

(ii) प्रणालीगत बुक कीपिंग

(ग) आवेदन के समय तैयार की गई और प्रस्तुत की गई कार्य योजना की अनुपालना।

## 2. अभिशासन और जनशक्ति

### (क) अभिशासन

एए द्वारा प्रबंधन सिद्धान्तों पर आधारित सुदृढ़ अभिशासन संरचना और निम्न के माध्यम से इसके अधिदेश के अनुरूप कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए:-

- (i) प्रबंधन संरचना दीर्घकालिक तौर पर व्यापक रूप से स्थिर हो और नियंत्रण/स्वामित्व में किसी भी परिवर्तन की सूचना समय पर एनसीबीईटी को प्रदान की जानी चाहिए।
- (ii) प्राधिकार की रेखा सुपरिभाषित और पारदर्शी संगठन संरचना के माध्यम से सुस्पष्ट तौर पर निर्धारित की गई है।
- (iii) एए के पास सुदृढ़ कार्य योजना होनी चाहिए, जिसमें बाजार शोध, वित्तीय अनुमान, समय सीमाएं इत्यादि समाहित हैं।

### (ख) मूल्यांकन स्टाफ

एए के मुख्य मूल्यांकन स्टाफ में एसएमई, मूल्यांकनकर्ता/परीक्षक और प्रोक्टर्स शामिल होते हैं। उनके द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:-

- (i) एए के पास प्रचालन राज्यों और क्षेत्रों में समुचित संख्या में ऐसा मूल्यांकन स्टाफ (पूर्णकालिक/अंशकालिक) होना चाहिए, जो प्रत्येक समय उनके लिए नियत किए गए कार्यों को पूरा करने में सक्षम होने के साथ ही अर्हता प्राप्त है।
- (ii) एए द्वारा विकसित की गई और आवेदन के समय प्रस्तुत की गई चयन और भर्ती नीतियों की अनुपालन की जाएगी। इनमें किए जाने वाले किसी भी बदलाव की सूचना एनसीबीईटी को प्रदान की जानी चाहिए।
- (iii) एए द्वारा एनसीबीईटी की अनुशंसाओं के अनुरूप अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में कार्य-निष्पादन समीक्षा पेरामीटर्स की अनुपालना की जाएगी।
- (iv) संबंधित अर्हताओं की अनुशंसाओं के अनुरूप कर्मचारियों को 'हायर' करना मान्यता प्राप्त संस्थाओं का उत्तरदायित्व होगा।
- (v) मुख्य मूल्यांकन स्टाफ का ब्योरा एनसीबीईटी और एवी के साथ साक्षा किया जाएगा।

**विषय-वस्तु विशेषज्ञ (एसएमई)**

- (i) प्रत्येक एए में प्रत्येक क्षेत्र के लिए कम से कम एक एसएमई होना चाहिए। हालांकि निर्बाध मूल्यांकन परिदान प्रक्रिया के लिए किसी क्षेत्र के भीतर उप-क्षेत्रों के लिए पृथक एसएमई होगा।
- (ii) एसएमई की अर्हताएं और उद्योग अनुभव नियत किए गए न्यूनतम मानदंडों के अनुरूप होगा। संस्था के मानदंडों के आधार पर एसएमई की नियुक्ति पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक कार्मिक के तौर पर की जा सकती है।
- (iii) एसएमई के प्रमुख उत्तरदायित्वों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अवश्य शामिल होना चाहिए:-
- थ्युरी और प्रैक्टिकल दोनों संघटकों के लिए प्रश्न बैंक तैयार करना।
  - अर्हता के अनुरूप मूल्यांकनों की योजना और संरचना विकसित करना।
  - उन अर्हताओं के लिए जिनके लिए मूल्यांकन का परिदान किया जा रहा है, प्रोक्टर और मूल्यांकनकर्ता 'कैलिब्रेशन,' यथा लागू; प्रक्रिया प्रारंभ करना।
  - मूल्यांकन उपकरणों के अभिकल्पन और विकास में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।

### **मूल्यांकनकर्ता (तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए)**

- (i) मूल्यांकनकर्ता की भर्ती मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा की जाएगी। उनकी अर्हता और अनुभव उस अर्हता खंड से यथा वर्णित अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए जिनका उन्हें मूल्यांकन करना है और उनके द्वारा एनसीवीईटी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारण आधारभूत मूल्यांकन दिशा-निर्देशों को भी पूरा किया जाना चाहिए। यदि अर्हता फाइल में मूल्यांकनकर्ता की अर्हता और अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया हो, तो निम्नलिखित में से किसी एक मानदंड की अनुपालना की जानी चाहिए:-
- संगत विषय में उच्च डिप्लोमा/डिप्लोमा/आईटीआई प्रमाण-पत्र और अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए (न्यूनतम दो वर्षीय संगत उद्योग अनुभव सहित)।
  - जिस अर्हता के लिए मूल्यांकन किया जाना है, उसमें (समकक्ष अथवा उच्चतर स्तर) आरपीएल प्रमाणन और अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव (न्यूनतम 4 वर्ष के संगत उद्योग अनुभव सहित)।
  - समान अथवा उच्चतर अर्हता में प्रशिक्षण और उद्योग के अथवा प्रशिक्षक के तौर पर 7-8 वर्ष का अनुभव।

- (ii) केवल प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं को ही मूल्यांकन के आयोजन की अनुमति प्रदान की जाएगी। मूल्यांकनकर्ता के प्रमाणन का उत्तरदायित्व संबंधित एए का होगा। मूल्यांकनकर्ता के प्रशिक्षण का प्रमाणन का उत्तरदायित्व एबी का होगा। मूल्यांकनकर्ता द्वारा एए को वरीयता प्रदान की जाएगी जिसमें 6 माह के लिए टीओए प्रमाणन का प्रावधान किया है।
- (iii) मूल्यांकनकर्ताओं की अर्हता और कार्य अनुभव के वर्षों की संख्या तथा आधार नंबर/आधार आवेदन संख्या (आधार नंबर को कवर किया जाएगा) की डाटा जानकारी संबंधित एए द्वारा एनसीवीईटी और एबी के साथ साझा की जाएगी। इस निक्षेपागार का अनुरक्षण एनसीबीईटी अथवा एनसीवीईटी द्वारा किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (iv) मूल्यांकन अभिकरण द्वारा मूल्यांकनकर्ता को संभार सहायता प्रदान की जाएगी और उसे समयबद्ध तरीके से युक्तिसंगत भुगतान किया जाएगा।
- (v) मूल्यांकन उस अनुदेश से भिन्न होना चाहिए जिसने बैच का शिक्षण कार्य किया है।
- (vi) एए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई मूल्यांकनकर्ता एक ही समय 4 से अधिक एए से संबंध न हो।
- (vii) मूल्यांकन की यथा प्रक्रिया में निम्नलिखित का ध्यान रखा जाना चाहिए:-
- एए द्वारा मूल्यांकनकर्ताओं के आबंटन की सूचना एबी को प्रदान की जाए।
  - चयनित मूल्यांकनकर्ता 24 घंटे के भीतर (यात्रा समय) मूल्यांकन स्थल पर पहुंचने में सक्षम होने चाहिए।
  - मूल्यांकनकर्ता द्वारा यह प्रमाणित कर लिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण केन्द्र में मूल्यांकन उपकरण और उपस्कर उपलब्ध है और यदि अपेक्षित हो तो उसके द्वारा मूल्यांकन का भी भाग होगा और एबी तथा एए द्वारा इसकी अनुपालना की जानी चाहिए।
- (viii) एनसीवीईटी द्वारा मूल्यांकनकर्ताओं की कार्य निष्पादन रेटिंग का निर्धारण किया जाएगा, जिसका उपयोग मूल्यांकन अभिकरण द्वारा किया जाएगा और इसकी जानकारी आवधिक तौर पर प्रदान की जाएगी।
- बेहतर कार्य निष्पादन वाले एए को प्रोत्साहित करने की प्रणाली भी होनी चाहिए।
- (ix) एबी द्वारा मूल्यांकनकर्ता की अनैतिक रीतियों के संबंध में एसओपी तैयार किया जा सकता है। एए द्वारा न्यायोचित कारणों के आधार पर मूल्यांकनकर्ताओं की मान्यता

समाप्त की जा सकती है। उन्हें काली सूची में रखा जा सकता है। एए द्वारा इसकी सूचना एक सप्ताह के भीतर एनसीबीईटी को प्रदान की जाएगी। एनसीबीईटी द्वारा काली सूची में रखे गए ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं की एक सूची अनुरक्षित की जाएगी।

### प्रोक्टर्स

- (i) एए द्वारा, जहां कहीं भी आवश्यक हो, प्रोक्टर्स को एबी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अर्हता की अपेक्षाओं के अनुरूप 'हायर' किया जाना चाहिए।
- (ii) एए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूल्यांकन के वीक्षण कार्य में केवल प्रमाणित प्रोक्टर्स को ही लगाया जाए।
- (iii) एए द्वारा प्रोक्टर्स निम्न प्रकार आयोजित किए जाने वाले मूल्यांकनों को ऑनलाइन आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा:-
  - भौतिक केन्द्रों पर आमने-सामने बैठकर।
  - अभ्यर्थी के स्वयं के स्थान/केन्द्र पर वर्चुअल मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्रोक्टर।
  - अभ्यर्थी के स्वयं के स्थल/केन्द्र पर दूरस्थ 'ऑटो-प्रोक्टर्ड'।
- (iv) एए द्वारा प्रोक्टर्स की सूची की जानकारी उनकी अर्हता और अनुभव सहित एनसीबीईटी/एबी के साथ साझा की जाएगी।

### (ग) सतत व्यावसायिक विकास

- (i) एए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रोक्टर्स और मूल्यांकनकर्ताओं, प्रशिक्षित और प्रमाणित हो और उन्हें अर्हताओं के लिए कोई आवश्यकता आधारित पूरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- (ii) अन्य सभी कर्मचारियों के कार्यात्मक कार्य-निष्पादन का संवर्धन करने के लिए सीपीडी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए।

### 'इयूल मान्यता वाली संस्थाएं'

- (क) जिन मामलों में मूल्यांकन किसी एबी की केन्द्रीयकृत प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाता है, अधिकांश तौर पर 'इयूल' मान्यता वाले निकायों के मामले में, वहां यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मूल्यांकन कार्यकलापों को करने के लिए राज्यों/क्षेत्रों में पर्याप्त और अर्हता प्राप्त मूल्यांकन स्टाफ उपलब्ध हो।

- (ख) 'ड्यूल' मान्यता वाली संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके स्वयं के परीक्षक उपलब्ध हों। इस स्थिति में, परीक्षक उस अनुदेशक से भिन्न होना चाहिए जिसने बैच का शिक्षण कार्य किया है।
- (ग) उपर्युक्त यथा रेखांकित एसएमई और प्रोक्टर्स की आवश्यकताओं की अनुपालना की जाएगी।

### 3. सुलभ मूल्यांकन उपकरण

एए के पास विभिन्न रोजगार भूमिकाओं के लिए मूल्यांकन उपकरणों के अभिकल्पना और विकास और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मूल्यांकन उपकरणों को सतत तौर पर बेहतर बनाने की क्षमता होनी चाहिए।

- (i) एए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके पास अर्हताओं की आवश्यकताओं के समरूप उपकरणों और सहायक सामग्रियों का तैयार भंडार हो।
- (ii) एए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न अर्हताओं के लिए मूल्यांकन परिदान हेतु उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरण मूल्यांकन परिदान से पूर्व संबंधित एबी द्वारा अनुमोदित किए गए हों।
- (iii) अर्हताओं के मूल्यांकन हेतु विकसित उपकरण प्रशिक्षुओं के कौशलों, ज्ञान और दक्षताओं का मापन करने में सक्षम होने चाहिए और ये सुलभ तथा प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं के समरूप होने चाहिए। एए द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूल्यांकन उपकरण दिव्यांगजन प्रशिक्षुओं के लिए मूल्यांकन परिदान में सक्षम होने चाहिए।
- (iv) एए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी मूल्यांकनकर्ताओं और प्रोक्टर्स को मूल्यांकन उपकरणों के उपयोग तथा मूल्यांकन निर्देशों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

#### (क) प्रश्न बैंक

- (i) एए मूल्यांकन की जाने वाली प्रत्येक अर्हता के लिए प्रश्नों के लिए बहु सेट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ii) प्रश्न बैंकों को संबंधित एबी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसमें किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना संबंधित एबी को प्रदान की जानी चाहिए।
- (iii) एए द्वारा प्रश्न बैंको की आवधिक समीक्षा प्रक्रिया परिभाषित की जानी चाहिए और समीक्षा के प्रत्येक चक्र को संबंधित एबी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

- (iv) प्रश्न बैंक स्थानीय भाषा और बोली, यदि आवश्यक हो, में भी उपलब्ध होने चाहिए।
- (v) सैम्पल प्रश्न संबंधित एबी की वेबसाइट पर तत्काल उपलब्ध होने चाहिए।
- (vi) प्रश्न बैंकों में आसान, मध्यम और कठिन प्रश्नों, एबी द्वारा यथा निर्देशित, का समानुपात मिश्रण होना चाहिए।

#### (ख) आईसीटी उपकरण

- (i) एए क्षेत्र विशिष्ट मूल्यांकनों के परिदान हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग अर्थात् एआई आधारित परीक्षा इंजन, कम्प्यूटर्स, टेबलेट्स, मोबाइल अनुप्रयोगों, वीडियो सांचार उपकरणों इत्यादि को बढ़ावा देना।
- (ii) मूल्यांकन परिदान हेतु एए द्वारा उपयोग किए जाने वाले आईसीटी टूल्स और प्रक्रियाओं को संबंधित एबी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (iii) मूल्यांकन परिदान हेतु उपयोग किए जाने वाले आईसीटी टूल्स एबी द्वारा अपनी अर्हताओं में परिभाषित दक्षताओं के अनुरूप होंगे।
- (iv) मूल्यांकनकर्ता सत्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाले आईसीटी टूल्स (मूल्यांकन के समय) का उपयोग ऑनलाइन तरीके से आयोजित किए जाने वाले मूल्यांकन और परिणामों के अभिलेखन हेतु किया जाएगा।
- (v) उपयोग किए जाने वाले उपकरण दिव्यांगजन अनुकूल होने चाहिए।

#### 5. मूल्यांकन कार्यनीति

- (क) मूल्यांकन कार्यनीति में मूल्यांकन परिदान की विस्तृत प्रक्रिया को रेखांकित किया जाना चाहिए और मूल्यांकन से पूर्व, मूल्यांकन के दौरान और उसके उपरांत इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- (ख) एए द्वारा अर्हताओं में यथा निर्धारित कार्य-निष्पादन मानदंडों के आधार पर प्रत्येक अर्हता के लिए अवार्डिंग निकायों द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन गाइड का अनुसरण किया जाना चाहिए। एबी द्वारा मूल्यांकन गाइड एए के साथ साझा की जाएगी।
- (ग) मूल्यांकन गाइड में अनिवार्य तौर पर शामिल किया जाएगा।
  - (i) नियत मूल्यांकनों के लिए तैयारी संबंधी एसओपी/उपयुक्त जांच सूची
  - (ii) रचनात्मक (यदि लागू हो) और योगात्मक मूल्यांकनों की आवश्यकता और स्वरूप



- (iii) इसकी आवृत्ति
  - (iv) मूल्यांकन की प्रणाली
  - (v) मूल्यांकन की विषय-वस्तु
  - (vi) मूल्यांकन के आयोजन हेतु समय-सीमा
  - (vii) उत्तरों के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स
  - (viii) मूल्यांकन का परिवेश और स्थल
  - (ix) मूल्यांकन अंकों की अवधि और वैधता
  - (x) मूल्यांकनों के परिदान में एबी और प्रशिक्षण भागीदारों की भूमिका
  - (xi) थ्युरी और प्रैक्टिकल संघटकों के बीच स्पष्ट द्विभ्रजन
  - (xii) प्रत्येक क्यू पी संबंधी मूल्यांकनकर्ता गाइड।
- (घ) एए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्यांकन, चाहे वह ऑनलाइन हो अथवा ऑफलाइन, की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि इसके द्वारा संबंधित अर्हता में रेखांकित 'मूल्यांकन मानदंड' के अनुसार दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाए।
- (ङ) मूल्यांकन के माध्यम से सभी दक्षताओं का पर्याप्त मापन किया जाना चाहिए और उपर्युक्त अर्हता के कार्यक्षेत्र से बाहर ऐसे किसी मूल्यांकन का सृजन नहीं किया जाएगा।
- (च) एए द्वारा उन शर्तों की अनुपालना अवश्य की जानी चाहिए जिनको एबी द्वारा परिभाषित किया गया है और जिनके संबंध में शिक्षार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हो सकती हैं:-
- रचनात्मक मूल्यांकन (यदि लागू हो) में कार्य निष्पादन की सीमा
  - मूल्यांकन पात्रता के लिए शिक्षार्थी द्वारा अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति।
  - शिक्षार्थी द्वारा पहचान के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण और इसके सत्यापन की प्रक्रिया-स्थिति
- (छ) एए द्वारा मूल्यांकन सामग्री के भंडारण और मूल्यांकन प्रक्रिया के सभी चरणों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

- (ज) मूल्यांकन प्रक्रिया एनसीवीईटी दिशा-निर्देशों में यथा परिभाषित मूल्यांकन के लिए नियत समय-सीमा के भीतर आयोजित की जानी चाहिए।

## 6. मूल्यांकनों का परिदान

एए मूल्यांकनों की योजना बनाने और संबंधित मूल्यांकन के निर्बाध परिदान के लिए उत्तरदायी होंगे। मूल्यांकनों के परिदान में निम्नलिखित कदम अनिवार्य होंगे:

### (क) मूल्यांकन से पूर्व

मूल्यांकन की योजना बनाने और उनके परिदान में यह एक महत्वपूर्ण चरण है और इसलिए एए द्वारा निम्नलिखित की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए:

- (i) एवी द्वारा प्रत्येक अर्हता के लिए विकसित की गई मूल्यांकन गाइड की अनुपालना
- (ii) मूल्यांकन गाइड में रेखांकित कार्यनीति के अनुसार प्रश्न बैंक तैयार करना
- (iii) संबंधित अवार्डिंग निकाय द्वारा प्रश्न बैंक अनुमोदित किए जाने के उपरांत एए द्वारा एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा।
- (iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रश्नों का दुहराव न हो, आईसीटी उपकरणों का लाभ उठाना।
- (v) मूल्यांकन सामग्री के भंडारण को सुरक्षित करना।
- (vi) मूल्यांकन प्रणाली 'अवार्डिंग' निकाय द्वारा निर्धारित अर्हताओं और प्रारूपों के अनुरूप होगी।
- (vii) प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं/प्रोक्टर्स, यथा अपेक्षित, की उपलब्धता।
- (viii) प्रशिक्षण भागीदार की एसपीओसी के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यांकन स्थल पर इसके आयोजन हेतु सभी अपेक्षित उपकरण हों (यदि मूल्यांकन प्रशिक्षण केन्द्र पर आयोजित किया जाए)।
- (ix) मूल्यांकन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण बैच के लिए आवंटित मूल्यांकनकर्ता/संबंधित 'अवार्डिंग' निकाय को इसकी सूचना दी जाएगी।
- (x) शिक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पहचान प्रमाण का निर्धारण और इसके सत्यापन के लिए प्रक्रिया-विधि।

## (ख) मूल्यांकन के दौरान

इस स्तर पर एए द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा:-

- (i) प्रत्येक मूल्यांकन के लिए प्रभावित मूल्यांकनकर्ता/परीक्षकों और प्रोक्टर्स को मूल्यांकन परिदान हेतु समय पर नियत स्थान पर पहुंचना होगा।
- (ii) मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन परिदान के लिए मूल्यांकन कार्यनीति के अनुरूप तैयार किए गए नयाचारों की अनुपालना की जानी चाहिए।
- (iii) मूल्यांकन-परीक्षार्थी अनुपात, जहां कहीं भी लागू हो, एबी द्वारा परिभाषित किया जाएगा। हालांकि, यह विनिर्माण क्षेत्र के लिए 20/1 और सेवा क्षेत्र के लिए 30:1 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (iv) एए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी मूल्यांकन कार्यकलाप, चाहे ऑनलाइन हो अथवा ऑफलाइन, निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप आयोजित किए जाए:-
  - मूल्यांकन के आयोजन हेतु स्थल (ऑफलाइन अथवा मिश्रित) और भौतिक संसाधन एबी द्वारा विकसित अर्हता और एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित विनियमों में यथा उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हो। कोई कमी होने की स्थिति में, इसकी सूचना एबी को प्रदान की जानी चाहिए।
  - प्रत्येक शिक्षार्थी की पहचान का सत्यापन और पुष्टि की जानी चाहिए ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान केवल अधिकृत व्यक्ति ही उपस्थित रहें। शिक्षार्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में समुचित अनुदेश प्रदान किए जाने चाहिए।
  - मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों और प्रोक्टर्स को अपने मूल्यांकन के संबंध में यथा लागू अपेक्षित अभिलेखों को पूरा करना चाहिए।
- (v) सभी मूल्यांकन केन्द्रों पर मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों और प्रोक्टर्स, यथालागू, द्वारा मूल्यांकन की गोपनीयता बनाए रखने सहित अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया विधियों की अनुपालना की जाएगी।
- (vi) सभी मूल्यांकन केन्द्रों पर मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों और प्रोक्टर्स, यथालागू, द्वारा विनिर्माण और/अथवा जोखिम वाले व्यवसाय के मामले में सुरक्षा और सुरक्षा नयाचारों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।
- (vii) एए द्वारा एबी के साथ परामर्श के उपरांत लागू की गई मूल्यांकन कार्यनीति के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रियाओं की निगरानी हेतु अद्यतन आईसीटी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

- (viii) सभी मूल्यांकन करने वाले संस्थाओं का, गुणवत्ता मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, एए/एबी/एनसीवीईटी द्वारा 'उड़न दस्ते' के माध्यम से मूल्यांकन स्थलों का औचक/अचानक दौरा किया जा सकता है। 'इयूल' मान्यता वाले निकायों के लिए ऐसी औचक पांच एबी/एनसीवीईटी द्वारा की जाएगी। एबी द्वारा इन औचक दौरों के लिए राज्य सरकार/एसएसडीएम, जिला कौशल विकास समिति (डीएसडीसी) का सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा।

#### **(ग) मूल्यांकन के उपरांत**

- (i) मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी मूल्यांकनकर्ता/कर्मचारी, यथा लागू, द्वारा मूल्यांकन के परिणामों को अभिलिखित किया जाएगा और इन्हें एए के साथ साझा किया जाएगा। एए द्वारा इन परिणामों को प्रचालन नियमावली में विनिर्दिष्ट समयावधि में उपयुक्त प्रारूप में एबी के साथ साझा किया जाएगा।
- (ii) मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत एए द्वारा प्रशिक्षकों, शिक्षुओं, मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों और प्रोक्टर्स का फीडबैक अभिलिखित किया जाएगा।
- (iii) सभी मूल्यांकन प्रतिमानों में विस्तृत विश्लेषण होना चाहिए, जो शिक्षुओं, एए, एसएमई, मूल्यांकनकर्ता/परीक्षक, एबी, एआई परीक्षा इंजन इत्यादि सहित संबंधित हितधारकों के कार्य-निष्पादन का संकेतक होना चाहिए।
- (iv) एए द्वारा अभिलिखित किए गए परिणामों की गोपनीयता कायम रखनी चाहिए।

#### **7. परिणामों का मूल्य निरूपण**

मूल्यांकन आयोजन के उपरांत, परिणामों का किसी विषमता के लिए मूल्य निरूपण करते हुए एबी द्वारा मूल्यांकन गाइड के माध्यम से प्रदत्त मूल्य निरूपण मैट्रिक्स से मिलान किया जाएगा। विषमताओं की जांच के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए परिणामों का अनुशोधन किया जाएगा कि मूल्यांकन में निष्पक्षता और परिणामों की निरंतरता को दर्शाया गया हो। परिणामों में अनुशोधन के मानदंड प्रत्येक 'अवार्डिंग' निकाय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 'इयूल' मान्यता वाली संस्थाओं के लिए, अनुशोधन के प्रयोजनार्थ, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिशोधन के लिए नियत स्टॉफ किसी भी क्षमता से मूल्यांकन योजना और परिदान से संबंध न हो।'

एए द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही परिणामों को देख पाएं।

एए द्वारा एबी के निर्णयानुसार पुनः मूल्यांकन/पुनः मूल्य निरूपण, यथा लागू, की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

## 8. परिणामों की घोषणा

'इयूल' मान्यता वाली संस्थाओं के मामले में एए/परीक्षा यूनिट द्वारा प्रचालन नियमावली में दी गई समय-सीमा के अनुसार एबी के समक्ष परिणाम प्रस्तुत किए जाने चाहिए। परिणामों के प्रकाशन के लिए एबी उत्तरदायी होगा। टीपी द्वारा परिणामों को शिक्षुओं के साथ, जहां कहीं लागू हो, साझा किया जाएगा।

## 9. शिकायत समाधान प्रणाली

- (क) एए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पात्रता मानदंड के खंड 5 (बिंदु 10) में यथा परिभाषित शिकायत समाधान प्रणाली लागू और कार्यरत हो।
- (ख) एए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनसीवीईटी के विस्तृत दिशा-निर्देशों की अनुपालना की जाए।
- (ग) प्राप्त शिकायतों को अभिलिखित किया जाए एवं उनका समाधान हो।

## 10. अन्य

### (क) अनुसंधान एवं विकास

मूल्यांकन को अधिक व्यावहारिक बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास के महत्व पर अधिक बल दिया गया है कि नियोक्ताओं को मूल्यांकन की विश्वसनीयता पर भरोसा हो। इसलिए एए द्वारा अपने प्रचालनों की प्रभावशीलता को सतत तौर पर बेहतर बनाने के लिए संगठन में अनुसंधान को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। इसके दृष्टिगत, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों की अनुपालना की जानी चाहिए:-

- (i) एए द्वारा अपने अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों को क्षेत्र, राज्य और/अथवा राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकताओं के साथ समेकित किया जाए।
- (ii) एए द्वारा बाह्य अनुसंधान एवं संगठनों सहित अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए अन्य निकायों के साथ सहयोग स्थापित किया जाए। उनके पास यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया हो कि आंतरिक निर्णय लेने के प्रक्रिया अनुसंधान परिणामों के अनुरूप हो।
- (iii) एए द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से प्राप्त मूल्यांकन संबंधी सूचना, अनुसंधान और विकास की जानकारी संकलित कर उसका प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

## (ख) सत्यनिष्ठा

- (i) मान्यता प्राप्त एए द्वारा अर्हताओं के विकास, परिदान और अधिनिर्णय में किसी प्रकार के कदाचार अथवा कुप्रबंधन पर रोक लगाने के लिए सभी युक्तिसंगत कदम उठाए जाने चाहिए।
- (ii) मान्यता प्राप्त एए द्वारा संदेहास्पद अथवा कथित कदाचार या कुप्रबंधन की जांच के लिए अद्यतन लिखित प्रक्रिया विधियों का विकास और अनुरक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी जांच कड़ाई से और प्रभावी तौर पर उपयुक्त दक्षता वाले ऐसी व्यक्तियों द्वारा की जाए जिनका जांच परिणामों में व्यक्तिगत हित नहीं है।
- (iii) 'ड्यूटी' अभिकरण के तौर पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा 'हित के टकराव' संबंधी एक नीति तैयार की जाएगी।

## 7.4 जोखिम मूल्यांकन संरचना

एनसीवीईटी द्वारा खंड 7.3 में सूचीबद्ध विस्तृत निगरानी पैरामीटर्स के अनुसार एए के कार्य-निष्पादन का मापन किया जाएगा। ये पैरामीटर्स प्रचालन नियमावली में यथा उल्लिखित जोखिम मूल्यांकन मैट्रिक्स का भाग होंगे। एनसीवीईटी द्वारा मैट्रिक्स में परिभाषित पैरामीटर्स को समय-समय पर यथा संशोधित किया जा सकता है। एए द्वारा अद्यतन पैरामीटर 'वर्जन' की अनुपालना की जानी चाहिए।

एए का कार्य-निष्पादन प्रत्येक पैरामीटर के मानक पर परखा जाएगा। प्रत्येक पैरामीटर के लिए कार्य-निष्पादन रेटिंग को निम्न, मध्यम और उच्च में से किसी एक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। कुल जोखिम अंकों की गणना के लिए इनमें से प्रत्येक श्रेणी (निम्न, मध्यम और उच्च) की अंकीय मूल्य प्रदान किया जाएगा। एए का निम्न मध्यम और उच्च जोखिम अंकों के आधार पर किया जाएगा। जोखिम अंक एनसीवीईटी द्वारा की जाने वाली दंडात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई का आधार होगा।

## 7.5 जोखिम उपशमन

जोखिम उपशमन प्रक्रिया में एए द्वारा अपना जोखिम कम करने के लिए प्रारंभ की जाने वाली सुधार कार्यनीतियों का प्रावधान किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के एए को एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित उपशमन कार्यनीति दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों का ब्यौरा प्रचालन नियमावली में रेखांकित किया गया है।

मान्यता प्राप्त एए की जोखिम मापन प्रक्रिया वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी। कम जोखिम के अर्थों में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले एए को प्रोत्साहित किया जाएगा जबकि लगातार मध्यम अथवा उच्च जोखिम में आने वाले एए के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

तीन वर्ष पूरा होने के उपरांत कुल जोखिम अंकों, उनकी आवृत्ति और एए द्वारा कार्यान्वित की गई उपशमन कार्यनीति, जिनका ब्यौरा प्रचालन नियमावली में दिया गया है, के आधार पर आगामी दो वर्षों के लिए मान्यता अवधि के अवस्तार का 'फास्ट ट्रैक' नवीनीकरण किया जा सकता है।

## 7.6 प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग)

एए द्वारा एक प्रलेखन नीति, जिसमें एनसीवीईटी के दिशा-निर्देशों के समरूप प्रक्रिया-विधियां, 'टैम्पलेट्स' और जांच सूचियां शामिल हैं, अवश्य अनुरक्षित की जानी चाहिए और ऐसी नीति को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त एए को समयबद्ध और सटीक तरीके से कार्य-निष्पादन पैरामीटर्स संबंधी डाटा, प्रत्येक क्षेत्र और भौगोलिक अवस्थितियों में शुल्क आधारित और गैर शुल्क आधारित में किए गए मूल्यांकनों और एनसीवीईटी द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले कोई अन्य डाटा प्रस्तुत करने होंगे।

## खंड 8: अधिनिर्णय (अवार्डिंग) निकायों और मूल्यांकन अभिकरणों के बीच संबंध को परिभाषित करना

निम्न अभिनिर्धारित प्रमुख हितधारकों का उत्तरदायित्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन परिदान में सहयोग प्रदान करना है:-

	शीर्ष	एनसीवीईटी	एबी	एए
1.	एए की मान्यता	<ul style="list-style-type: none"> <li>एए के लिए मान्यता मानदंडों का निर्धारण करना</li> <li>एए को मान्यता प्रदान करना</li> <li>ऑनलाइन मोड (चरण-II) में- एनसीवीईटी द्वारा एए का आबंटन</li> <li>शुल्क शेयरिंग प्रणाली को विनिर्दिष्ट करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>तृतीय पक्ष मूल्यांकन के चरण -I में:-</li> <li>एबी द्वारा एनसीवीईटी की तरफ से मान्यता प्राप्त एए का चयन करना।</li> <li>एबी द्वारा मूल्यांकन शुल्क इत्यादि साझा करने के लिए एए के साथ और करार करना।</li> <li>केन्द्रीयकृत मूल्यांकन के मामले में, हितों का टकराव रोकने के लिए अवार्डिंग और मूल्यांकन बिल्कुल अलग होने चाहिए।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एनसीवीईटी और एबी, यथा लागू, दोनों के साथ किए गए करार के मानदंडों की अनुपालना करना।</li> </ul>

2.	मूल्यांकन कार्यनीति	<ul style="list-style-type: none"> <li>व्यापक संरचना का निर्धारण करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अर्हताओं में मूल्यांकन मानदंडों का निर्धारण करना</li> <li>प्रत्येक अर्हता के लिए मूल्यांकन गाइड तैयार करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एबी द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन गाइड की अनुपालना करना</li> <li>मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म विकसित करना</li> </ul>
3.	<p>क. मूल्यांकनकर्ता/प्रोक्टर्स /एसएमई 'हायर' करना</p> <p>ख. मूल्यांकनकर्ता/प्रोक्टर का प्रमाणन</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मूल्यांकनकर्ताओं, प्रोक्टर्स और एसएमई की भर्ती के लिए विस्तृत मानदंड प्रदान करना</li> <li>मूल्यांकनकर्ताओं की रेटिंग के लिए पैरामीटर्स प्रदान करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अर्हता में मूल्यांकनकर्ताओं/प्रोक्टर्स की भर्ती का निर्धारण करना</li> <li>टीओए का आयोजन करना</li> <li>प्रोक्टर्स के लिए मानकों को परिभाषित करना</li> <li>यह सुनिश्चित करना कि मूल्यांकन प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाए</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अर्हता प्राप्त मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों, प्रोक्टर्स और एसएमई की नियुक्ति करना</li> <li>यह सुनिश्चित करना कि उनके मूल्यांकनकर्ता प्रमाणित हो।</li> <li>मूल्यांकन कार्य में सहयोग हेतु प्रमाणित प्रोक्टर्स को 'हायर' करना</li> <li>मूल्यांकनकर्ताओं के लिए जोखिम रेटिंग प्रदान करना।</li> </ul>
4.	प्रश्न बैंक	<ul style="list-style-type: none"> <li>व्यापक मानदंड प्रदान करना और प्रक्रिया की निगरानी करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एए द्वारा विकसित प्रश्न बैंकों का पुनरीक्षण करना</li> <li>अपनी वेबसाइट पर नमूना प्रश्न बैंकों का प्रकाशन करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रत्येक अर्हता के लिए प्रश्न बैंक (उद्योग जगत के साथ परामर्श से) तैयार करना और एबी से इनका पुनरीक्षण करवाना।</li> </ul>
5.	मूल्यांकन समय सरणी	<ul style="list-style-type: none"> <li>मूल्यांकन के आयोजन हेतु समय सीमाओं का निर्धारण करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण पूरा होने के कम से कम 15 दिन पूर्व एए को आसन्न मूल्यांकन की सूचना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मूल्यांकन समय-सारणी के अनुसार मूल्यांकनकर्ताओं/प्रोक्टर्स का</li> </ul>



			<p>प्रदान करना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>केन्द्रीयकृत मूल्यांकन के मामले में, मूल्यांकन की समय सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण करते हुए एक कैलेंडर तैयार करना।</li> </ul>	<p>आबंटन और एबी को इसकी सूचना प्रदान करना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>केन्द्रीयकृत मूल्यांकन के मामले में एए द्वारा परीक्षकों का अभিনিर्धारण और कार्य नियत करना।</li> </ul>
6.	मूल्यांकन परिदान (खंड 7.3 बिन्दु 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>मूल्यांकन परिदान के लिए मानदंडों का निर्धारण करना</li> <li>फीडबैक प्रणाली के लिए मानकों का निर्धारण करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मूल्यांकन परिदान प्रणाली की निगरानी करना।</li> <li>मूल्यांकनकर्ताओं के सत्यापन, टीपी के अभিনিर्धारण सहित हितधारकों से मूल्यांकन संबंधी फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रपत्र का निर्धारण करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एनसीवीईटी दिशा निर्देशों और एबी द्वारा पदत मूल्यांकन गाइड के अनुसार मूल्यांकन परिदान सुनिश्चित करना</li> <li>मूल्यांकन परिदान संबंधी किसी भी विषमता की जानकारी एनसीवीईटी और एबी को प्रदान करना</li> <li>मूल्यांकन पूरा होने के उपरांत फीडबैक प्राप्त करना</li> </ul>
7.	परिणाम	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिवारों के अभिलेखन और प्रकाशन हेतु मानदंडों का निर्धारण करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिवारों के अभिलेखन हेतु प्रपत्र प्रदान करना</li> <li>अनुशोधन के लिए मानदंड निर्धारित करना</li> <li>अपनी वेबसाइट पर परिणाम का प्रकाशन</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मूल्यांकन परिणामों का अभिलेखन और समयबद्ध तरीके से इनकी जानकारी एबी को प्रदान करना</li> <li>अंकों के अनुशोधन</li> </ul>

			<p>और नियत समय के भीतर शिक्षुओं के लिए प्रमाण-पत्र तैयार करना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>एबी द्वारा पुनःमूल्यांकन/पुनः मूल्य निरूपण, यथा लागू के संबंध में निर्णय लेना</li> </ul>	<p>में एबी का सहयोग करना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>एबी के निर्णयानुसार पुनः मूल्यांकन/पुनः मूल्य निरूपण, यथा लागू का आयोजन करना</li> </ul>
8.	निगरानी	<ul style="list-style-type: none"> <li>जोखिम मूल्यांकन संरचना में यथा परिभाषित पैरामीटर्स के अनुसार एए और मूल्यांकन परिणामों की निगरानी करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मूल्यांकन अभिकरणों की ससत निगरानी</li> <li>मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्व:विनियमन/निगरानी</li> <li>समुचित आई सीटी समर्थित निगरानी प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता/परीक्षक और प्रोक्टर्स सहित स्थल पर जाकर मूल्यांकनों की निगरानी करना</li> <li></li> </ul>
9.	शिकायत समाधान	<ul style="list-style-type: none"> <li>मानदंड निर्धारित करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एए, टीपी और प्रशिक्षुओं संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु एक प्रक्रिया का निर्धारण करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मूल्यांकनकर्ताओं/परीक्षकों, प्रशिक्षण प्रदाताओं, प्रोक्टर्स संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करना।</li> </ul>



राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद  
(कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय)  
कौशल भवन, करोल बाग  
नई दिल्ली-110005